दिनांक 27 अगस्त 2013 को
विधानसभा में प्रस्तुत की गई।
Presented to the Legislature
on 27th August, 2013

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए

(आर्थिक क्षेत्र)

राजस्थान सरकार

वर्ष 2013 का प्रतिवेदन संख्या 3

विषय सूची

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन	-	(iii)
अध्याय 1 **प्रस्तावना**		
इस प्रतिवेदन के बारे में	1.1	1
लेखापरीक्षा का खाका	1.2	2
लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृति	1.3	3
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (आर्थिक एंव राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान का संगठनात्मक ढाँचा	1.4	3
लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन	1.5	4
लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष	1.6	4
निष्पादन लेखापरीक्षा/लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभाग का प्रत्युत्तर	1.7	7
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.8	7
अध्याय 2 **निष्पादन लेखापरीक्षा**		
जल संसाधन विभाग जल संसाधन विभाग की निष्पादन लेखापरीक्षा	2.1	9
अध्याय 3 **अनुपालना लेखापरीक्षा**		
नियमों एवं विनियमों की अनुपालना नहीं किया जाना	3.1	
जल संसाधन विभाग अनाधिकृत व्यय	3.1.1	39
सतत् एवं व्यापक अनियमिततायें	3.2	
सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्य स्थल की उपलब्धता के बिना सड़क निर्माण का कार्यादेश जारी किया जाना	3.2.1	40
शासन की विफलता/दृष्टिचूक	3.3	
सार्वजनिक निर्माण विभाग आवास निर्माण पर अलाभकारी व्यय	3.3.1	47
सामान्य लेखापरीक्षा आक्षेपों का उत्तर देने का अभाव	3.3.2	49

परिशिष्ट		
		पृष्ठ
परिशिष्ट–2.1	1.1.2012 को संगठनात्मक ढांचा	53
परिशिष्ट–2.2	वन विभाग से भूमि की स्वीकृति/अधिग्रहण के अभाव में लसिंप/फीडर अपूर्ण रहने का विवरण	54
परिशिष्ट–2.3	वर्षवार वर्षा, ल.सि.प. में पानी की सम्भावित तथा वास्तविक आवक को दर्शाने वाला विवरण–पत्र	55
परिशिष्ट–2.4	कार्य अपूर्ण रहने के कारण अनुबन्ध के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत संवेदकों से क्षतिपूर्ति की वसूली/आरोपण न करने के विवरण को दर्शाने वाला विवरण–पत्र	59
परिशिष्ट–2.5	2009–12 के दौरान वास्तविक व्यय के साथ ही साथ मूल/पूरक प्रावधान की सार स्थिति	61
परिशिष्ट–2.6	निक्षेप कार्यों पर अधिक व्यय की वसूली नहीं होने को दर्शाने वाला विवरण–पत्र	62
परिशिष्ट–2.7	चैकों तथा चालानों के मिलान के अभाव को दर्शाने वाला विवरण–पत्र	63
परिशिष्ट–2.8	विविध लोक निर्माण अग्रिम तथा अग्रदाय के बकाया को दर्शाने वाला विवरण–पत्र	64
परिशिष्ट–2.9	सरकारी कर्मचारियों से मासिक किराये की वसूली के अभाव को दर्शाने वाला विवरण–पत्र	65
परिशिष्ट–2.10	जन.स्वा.अ.वि. से वसूल नहीं किये गये जल प्रभारों को दर्शाने वाला विवरण–पत्र	66
परिशिष्ट–3.1	निजी/वन भूमि में से सड़क संरेखण प्रस्तावित करने के कारण अपूर्ण रही सड़कों को दर्शाने वाला विवरण–पत्र	67

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन का अध्याय 1 लेखापरीक्षा का खाका, लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृति, लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) का संगठनात्मक ढाँचा एवं प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागो का प्रत्युत्तर दर्शाता है। इस प्रतिवेदन में शामिल किये गये लेखापरीक्षा आक्षेपों के मुख्य निष्कर्षो को भी इस अध्याय में दर्शाया गया है।

अध्याय 2 में निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षो एवं अध्याय 3 में विभिन्न विभागों की अनुपालना लेखापरीक्षा के निष्कर्षो को शामिल किया गया है।

इस प्रतिवेदन में स्वायत्तशाषी निकायों को शामिल करते हुऐ आर्थिक क्षेत्रो के विभागों की अनुपालना एवं निष्पादन लेखापरीक्षा मे लिए गये महत्वपूर्ण मामलो को शामिल किया गया है। सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के विभागो, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों, सांविधिक निगमों और सरकारी कम्पनियों एवं राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित वित्तीय लेनदेनो की लेखापरीक्षा मे उजागर हुए बिन्दुओं पर पृथक से प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं।

प्रतिवेदन मे उल्लिखित मामले उनमें से है जो वर्ष 2011-12 के दौरान लेखाओं की नमूना जाँच के दौरान ध्यान मे आए तथा उनमें से भी, जो पूर्व वर्षो में ध्यान में आए थे परन्तु पूर्व प्रतिवेदनों में शामिल नही किये जा सकें। वर्ष 2011-12 के बाद की अवधि से सम्बन्धित मामले, जहाँ कहीं आवश्यक है, भी शामिल किए गए हैं।

अध्याय 1

प्रस्तावना

अध्याय 1
प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) का यह प्रतिवेदन, चयनित कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं आर्थिक क्षेत्र के विभागों और स्वायत्तशाषी निकायों की अनुपालना लेखापरीक्षा में उजागर हुए मामलों से सम्बन्धित है।

अनुपालना लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाईयों के व्ययों से सम्बन्धित लेनदेनों की जाँच से संदर्भित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या भारत के संविधान के प्रावधानों, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं निर्देशो की अनुपालना की जा रही है। दूसरी ओर, निष्पादन लेखापरीक्षा, अनुपालना लेखापरीक्षा करने के अलावा यह भी जाँच करती है कि क्या कार्यक्रमों/गतिविधियों/विभाग के उद्देश्यों को मितव्ययतापूर्वक एवं प्रभावी रूप से प्राप्त किया गया है।

प्रतिवेदन का मुख्य उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्व परिणामों को राज्य विधान सभा के समक्ष लाना होता है। लेखापरीक्षा मानको के लिए यह आवश्यक है कि रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण स्तर, लेनदेनों की प्रकृति, मात्रा एवं महत्व के अनुसार होना चाहिए। लेखापरीक्षा के निष्कर्षो द्वारा कार्यपालक को सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु योग्य बनाने एवं साथ ही नीतियां एवं निर्देश बनाने, जो संगठन के वित्तीय प्रबंधन में सुधार हेतु आवश्यक है एवं जो अच्छे शासन में भागीदारी करते हैं, की प्रत्याशा की जाती है।

यह अध्याय, लेखापरीक्षा आयोजना एवं आकार की व्याख्या के अतिरिक्त, चयनित योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण कमियां, लेनदेनों की लेखापरीक्षा के दौरान लिए गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेपों एवं विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही के संकलन को प्रस्तुत करता है। इस प्रतिवेदन के अध्याय 2 में जल संसाधन विभाग (ज.सं.वि.) के चयनित खण्डों के कार्यक्रमों/गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा में उजागर निष्कर्ष शामिल है। अध्याय 3 में सरकारी विभागों की अनुपालना लेखापरीक्षा के आक्षेप शामिल है।

1.2 लेखापरीक्षा का खाका

अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव/सचिवों, जो कि उपशासन सचिवों/आयुक्तों एवं अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सहयोग किये जाते है, द्वारा नियंत्रित सात आर्थिक क्षेत्र के विभागों एवं उनके स्वायत्तशाषी निकायों की लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर द्वारा की जाती है।

राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान किये गये व्यय की तुलनात्मक स्थिति नीचे तालिका 1 मे दी गयी है।

तालिका 1: व्यय की तुलनात्मक स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	**2009-10**			**2010-11**			**2011-12**		
	आयोजना	**आयोजना भिन्न**	**योग**	**आयोजना**	**आयोजना भिन्न**	**योग**	**आयोजना**	**आयोजना भिन्न**	**योग**
राजस्व व्यय									
सामान्य सेवायें	101	15,546	15,647	175	16,562	16,737	422	18,287	18,709
समाजिक सेवायें	3,007	13,487	16,494	3,929	13,966	17,895	5,947	15,981	21,928
आर्थिक सेवायें	3,179	4,793	7,972	4,649	5,571	10,220	5,780	6,964	12,744
सहायतार्थ अनुदान	-	19	19	-	21	21	267	6	273
योग	**6,287**	**33,845**	**40,132**	**8,753**	**36,120**	**44,873**	**12,416**	**41,238**	**53,654**
पूँजीगत व्यय									
पूँजीगत परिव्यय	5,819	(-) 644[1]	5,175	5,231	20	5,251	7,103	16	7,119
संवितरित कर्ज एंव अग्रिम	463	35	498	189	73	262	1,051	58	1,109
लोक ऋण की अदायगी			2,945	-	-	3,317	-	-	3,490
आकस्मिकता निधि			-	-	-	-	-	-	-
लोक लेखा संवितरण			1,07,714	-	-	1,16,298	-	-	1,22,320
योग			**1,16,332**	**-**	-	**1,25,128**			**1,34,038**
कुल योग			**1,56,464**	**-**	**-**	**1,70,001**			**1,87,692**

स्त्रोत: वर्ष 2011-12 के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1. ऋणात्मक संख्या राजस्थान राज्य निवेश निधि से ₹ 688 करोड़ हस्तांतरण के कारण है।

1.3 लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृति

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृति भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवाओं की शर्ते) अधिनियम, 1971 से ली गयी है। प्रधान महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर द्वारा राजस्थान सरकार के आर्थिक क्षेत्र के विभागों और स्वायत्तशाषी निकायों के व्ययों की लेखापरीक्षा सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवाओं की शर्ते) अधिनियम की धारा 13[2],14[3],15[4],17[5] और 20[6] के अन्तर्गत की जाती है। निष्पादन एवं अनुपालना लेखापरीक्षा के लिये सिद्धान्त एवं विधियां, सीएजी द्वारा जारी नियम पुस्तिकाओं में निर्दिष्ट की गई हैं।

1.4 कार्यालय प्रधान महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान का संगठनात्मक ढांचा

सीएजी के निर्देशों के अन्तर्गत कार्यालय प्रधान महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्तषाशी निकायों को शामिल करते हुये राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्र के विभागों की लेखापरीक्षा तीन समूहो द्वारा संचालित करता है।

2. (i) राज्य की समेकित निधि से सभी व्ययों (ii) आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखाओं से संबन्धित सभी लेनदेनो एवं (iii) सभी व्यापार, निर्माण, लाभ एवं हानि खातों, तुलन-पत्र एवं अन्य सहायक लेखाओं की लेखापरीक्षा।
3. (i)राज्य की समेकित निधि में से अनुदान या ऋणों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित निकाय/प्राधिकरण की सभी प्राप्तियों एवं व्ययों तथा (ii) किसी निकाय या प्राधिकरण की सभी प्राप्तियों एवं व्ययों, जहां ऐसे निकाय या प्राधिकरण को राज्य की समेकित निधि से ऋण एवं अनुदान एक वित्तीय वर्ष में ₹ 1 करोड़ से कम नही हो, की लेखापरीक्षा।
4. भारत या राज्य की समेकित निधि में से विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किसी प्राधिकरण या निकाय को दिये गये ऋण या अनुदान की लेखापरीक्षा, जिसके द्वारा कार्यविधि की संवीक्षा हेतु स्वीकृति देने वाला प्राधिकरण स्वयं को संतुष्ट करता है कि उन शर्तो की पूर्ति कर ली गयी है जिनके अंतर्गत ऐसे अनुदान या ऋण दिये गये थे।
5. भण्डार एवं स्टॉक के लेखाओं की लेखापरीक्षा।
6. राज्यपाल के अनुरोध पर किसी निकाय या प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा, उन शर्तो एवं निबंधनो पर जो कि सीएजी एवं राज्य सरकार के बीच ठहरायी गयी हो।

1.5 लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया की शुरुआत सरकार के विभिन्न विभागों/संगठनों/स्वायत्तशाषी निकायों एवं योजना/परियोजना इत्यादि के जोखिम प्रदर्शन के मूल्यांकन से होती है। जोखिम आंकलन, गतिविधियों की आलोच्यता/जटिलता, वित्तीय शक्तियों के सौंपने का स्तर, समग्र आंतरिक नियन्त्रणों का मूल्यांकन एवं भागीदारो की चिंताओं पर आधारित है। इस प्रक्रिया में गत लेखापरीक्षा निष्कर्ष भी ध्यान में रखे जाते है।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण होने के उपरान्त, लेखापरीक्षा निष्कर्षो का समावेश करते हुए इकाई के प्रमुख को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते है। इकाईयों से लेखापरीक्षा निष्कर्षो पर निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर जवाब प्रेषित करने हेतु निवेदन किया जाता है। जब भी जवाब प्राप्त होता है, लेखापरीक्षा निष्कर्षो का या तो निपटारा कर लिया जाता है या अनुपालना के लिए अग्रेतर कार्यवाही की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उजागर किये गये मुख्य लेखापरीक्षा आक्षेपो को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए तैयार किया जाता है।

1.6 लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष

पिछले कुछ वर्षो से लेखापरीक्षा ने निष्पादन लेखापरीक्षा के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के क्रियान्वयन में कई महत्वपूर्ण कमियों एवं साथ ही चयनित विभागों मे आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता, जो कि कार्यक्रमों की सफलता एवं विभागों के कार्य को प्रभावित करती है, को प्रतिवेदित किया है। इसी प्रकार, सरकारी विभागों/संगठनों की अनुपालना लेखापरीक्षा के दौरान उजागर हुई कमियों को भी प्रतिवेदित किया जाता है।

1.6.1 कार्यक्रमों/गतिविधियों/विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा

इस प्रतिवेदन के अध्याय 2 मे जल संसाधन विभाग की निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल है। निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण अंशो की नीचे चर्चा की गयी है।

1.6.1.1 जल संसाधन विभाग की निष्पादन लेखापरीक्षा

राजस्थान देश का सबसे शुष्कतम राज्य है। जल क्षेत्र में पेश आ रही समस्याओं को देखकर राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999 में दीर्घकालीन राज्य जल योजना समर्थित, राज्य जल नीति अपनायी गयी जिसे 2010 में पुनः संशोधित किया गया। सतह के पानी के श्रेष्ठतम उपयोग एवं सिंचाई क्षमता के सृजन हेतु जल संसाधन विभाग (ज.सं.वि.) द्वारा विभिन्न दीर्ध, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाऐं (ल.सि.प) प्रारम्भ की गई। मार्च 2012 तक तीन दीर्घ, छः मध्यम और 159 लघु

सिंचाई परियोजनाऐं पूर्ण हुई और एक दीर्घ, पांच मध्यम तथा 43 लघु सिंचाई परियोजनाऐ प्रगतिरत थी।

जल संसाधन विभाग की निष्पादन लेखापरीक्षा में पता चला कि सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के माध्यम से सिंचाई के लिए सतह के पानी का उपयोग करने का राज्य सरकार का उद्देश्य, परियोजना कार्यस्थल की अनुपलब्धता, ड्राईग और डिजाईन की स्वीकृति मे देरी, धन की अपर्याप्तता के कारण प्राप्त नही किया जा सका। परियोजनाओं को व्यवहार्य बनाने हेतु लाभ-लागत अनुपात की गलत गणना के उदाहरण भी देखे गये। पर्याप्त वर्षा के बावजूद पानी की शून्य/कम आवक दोषपूर्ण हाइड्रोलोजी को दर्शाती है। इसके अलावा, राज्य जल नीति के अनुसार पानी की दरों का निर्धारण नही किये जाने से राज्य सरकार को ₹ 147.50 करोड़ के राजस्व से वंचित होना पड़ा एवं जल नियामक प्राधिकरण का गठन नही करने तथा निर्धारित माईलस्टोन प्राप्त नही करने के कारण यूरोपियन आयोग से ₹ 307.77 करोड़ का अनुदान भी प्राप्त नही हुआ। निक्षेप कार्यो पर किये गये अतिरिक्त व्यय की वसूली नही की गई तथा अदावाकृत निक्षेप शेषों को राज्य की समेकित निधि में जमा नही किया गया। पर्यवेक्षण और प्रशासनिक निरीक्षण प्रणाली, निगरानी और आंतरिक नियंत्रण तंत्र कमजोर थे तथा विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा वर्ष 1994 से बकाया थी।

(अनुच्छेद 2.1)

1.6.2 अनुपालना लेखापरीक्षा के दौरान महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेप

आलोच्य क्षेत्रो मे लेखापरीक्षा ने महत्वपूर्ण कमियां उजागर की जिन्होने राज्य सरकार की प्रभावोत्पादकता पर असर डाला था। अनुपालना लेखापरीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षो (तीन अनुच्छेद) को अध्याय 3 मे प्रतिवेदित किया गया है। मुख्य आक्षेप निम्न श्रेणियों से संबन्धित है।

1.6.2.1 नियमो एवं विनियमो की अनुपालना नही किया जाना

अच्छे वित्तीय प्रशासन एवं नियंन्त्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्यय, वित्तीय नियमों, विनियमों एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशो के अनुसार हो। यह वित्तीय अनुशासन बनाये रखने मे सहायता करता है तथा अनियमितताओं, दुर्विनियोजन एवं धोखाधड़ी को रोकता है। इस रिपोर्ट मे नियमो ओर विनियमो की गैर-अनुपालना के ₹ 4.63 करोड़ के उदाहरण शामिल है जैसा कि नीचे वर्णित है:

अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन विभाग, खण्ड द्वितीय, भीलवाडा द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के प्रावधानों/दिशा-निर्देशो का उल्लंघन करते हुए ठेकेदारों के माध्यम से मरम्मत कार्य कराये गये, जिसके परिणामस्वरूप

राशि ₹ 4.63 करोड़ के अनाधिकृत व्यय के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रो मे आजीविका की सुरक्षा बढाने के उद्देश्य की प्राप्ति का अभाव रहा।

(अनुच्छेद 3.1.1)

1.6.2.2 सतत् एवं व्यापक अनियमिततायें

एक अनियमितता यदि वर्ष-दर-वर्ष होती रहती है तो यह सतत् अनियमितता समझी जाती है। यदि यह सम्पूर्ण प्रणाली मे विद्यमान रहती है तो यह व्यापक अनियमितता हो जाती है। पिछली लेखापरीक्षा मे बताये जाने के बावजूद अनियमितताओं की पुनरावृति होना न केवल कार्यपालक के गम्भीर नही होने का सूचक है बल्कि प्रभावी अनुश्रवण के अभाव का भी द्योतक है, जिसकी परिणिती नियमों/विनियमो के अनुपालना से जानबूझकर विचलनों को प्रोत्साहित करती है एवं परिणामत: प्रशासकीय संरचना को कमजोर करती है। लेखापरीक्षा की जांच में ₹ 10.67 करोड़ की सतत्/व्यापक अनियमिततायें निम्न वर्णनानुसार पाई गयी:

रेलवे/निजी/वन भूमि के मध्य से गुजरने वाली सड़को के कार्यो को बिना भू-अधिग्रहण/वन विभाग की पूर्व स्वीकृति के प्रस्तावित करने और दिये जाने से इन पर किया गया ₹ 10.67 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

(अनुच्छेद 3.2.1)

1.6.2.3 शासन की विफलता/दृष्टिचूक

सरकार संरचनात्मक ढांचो तथा सार्वजनिक सेवाओं के उन्नयन के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास आदि के क्षेत्र में लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बाध्य है। लेखापरीक्षा ने कुछ दृष्टांत सूचित किये, जिनमें सरकार द्वारा सार्वजनिक संपतियों के सृजन के लिए निर्मोचित की गयी निधियां, अनिर्णयता, प्रशासकीय दृष्टिचूक या विभिन्न स्तरों पर संगठित कार्यवाही के कारण अनुपयोगित/अवरोधिक रही या निष्फल/अनुत्पादित सिद्ध हुई। लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जाँच में ध्यान में आये शासन की विफलता/दृष्टिचूक के मामलो मे राशि ₹ 2.15 करोड़ निम्न विवेचनानुसार शामिल है।

निविदा देने के बाद कार्य के निर्माण की गैर-न्यायोचित लागत के परिणामस्वरूप नियोजित 48 के विरूद्ध केवल 26 आवासीय क्वार्टर्स का ही निर्माण हुआ। इन 26 आवासो में दो वर्षो से बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान नही किये जाने से ₹ 2.15 करोड़ का निवेश अनुत्पादक रहा।

(अनुच्छेद 3.3.1)

1.7 निष्पादन लेखापरीक्षा/लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागो का प्रत्युत्तर

वित्त विभाग ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप अनुच्छेदो पर तीन सप्ताह मे अपने प्रत्युत्तर देने हेतु सभी विभागो को निर्देश जारी किये थे (अगस्त 1969)।

तद्नुसार, प्रारूप अनुच्छेदो को संबंधित विभागो के प्रमुख शासन सचिवो को, लेखापरीक्षा निष्कर्षो पर उनका ध्यान आकर्षित करने एवं उनका तीन सप्ताह के अन्दर प्रत्युत्तर देने हेतु निवेदन करते हुए अग्रेषित किया जाता है। यह उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया जाता है कि ऐसे अनुच्छेदो को सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मे शामिल करने की सम्भावना के दृष्टिकोण से, जो कि राजस्थान विधान सभा मे उपस्थापित किया जाना है, यह वांछनीय होगा कि मामले पर उनकी टिप्पणी शामिल कर ली जावें। उन्हे यह भी सलाह दी जाती है कि वे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए प्रस्तावित निष्पादन लेखापरीक्षा/प्रारूप अनुच्छेदो पर चर्चा करने के लिए प्रधान महालेखाकार के साथ बैठक आयोजित करें। इस प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित निष्पादन लेखापरीक्षा/प्रारूप अनुच्छेदो को प्रमुख शासन सचिवो/शासन सचिवों को अग्रेषित किया गया था।

प्रमुख शासन सचिवो/शासन सचिवों को अग्रेषित किये गये प्रारूप अनुच्छेदों एवं प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा पर राज्य सरकार द्वारा प्रेषित उत्तरों को प्रतिवेदन मे उपयुक्त रूप से शामिल कर लिया गया है।

1.8 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनो पर अनुवर्ती कार्यवाही

राज्य सरकार के वित्त विभाग ने निश्चय किया (दिसम्बर 1996) कि सभी अनुच्छेदो/समीक्षाओं, जो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मे शामिल किये गये है, पर एक्शन टेकन नोट्स (ए.टी.एन) प्रतिवेदन के विधान सभा में प्रस्तुत होने के तीन माह के अन्दर लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा कराकर जन लेखा समिति को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र के विभिन्न विभागों से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों मे शामिल किये गये अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर बकाया एक्शन टेकन नोट्स की समीक्षा में पाया गया कि दिसम्बर 2012 में विभागों से संबंधित कोई एक्शन टेकन नोट्स बकाया नही थे। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2010-11 में शामिल आर्थिक क्षेत्र के विभागों से सम्बन्धित दो अनुच्छेद, जन लेखा समिति में चर्चा हेतु लम्बित थे (दिसम्बर 2012)।

अध्याय 2
निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय 2
निष्पादन लेखापरीक्षा

यह अध्याय जल संसाधन विभाग की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रस्तुत करता है।

जल संसाधन विभाग

2.1 जल संसाधन विभाग की निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

राजस्थान देश का सबसे शुष्कतम राज्य है। जल क्षेत्र में पेश आ रही समस्याओं को देखकर, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999 मे दीर्घकालीन राज्य जल योजना समर्थित, राज्य जल नीति अपनायी गयी, जिसे 2010 में पुनः संशोधित किया गया। सतही जल के श्रेष्ठतम उपयोग तथा सिंचाई क्षमता के सृजन हेतु जल संसाधन विभाग (जसंवि) द्वारा विभिन्न वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाऐं (ल.सि.प) प्रारम्भ की गयी। मार्च 2012 तक, तीन वृहत, छः मध्यम और 159 लघु सिंचाई परियोजनाऐं पूर्ण हो गई थी तथा एक वृहद, पाँच मध्यम तथा 43 लघु सिंचाई परियोजनाऐं प्रगतिरत थी। 2009-12 के दौरान जल संसाधन विभाग की निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित मामले प्रकट हुऐं।

सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के माध्यम से सिंचाई के लिए सतही जल के उपयोग करने का राज्य सरकार का उद्देश्य, परियोजना स्थल की अनुपलब्धता, ड्राइंग तथा डिजाईन के अनुमोदन में विलम्ब, निधियों की अपर्याप्तता के कारण प्राप्त नही किया जा सका। इसके विलम्ब से परियोजनाओं की लागत मे अभिवृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप आमजन को लाभ प्राप्ति मे विलम्ब हुआ। परियोजना को व्यवहार्य बनाने के लिए लाभ-लागत अनुपात की गलत तरीके से गणना के उदाहरण भी ध्यान मे आये। पर्याप्त वर्षा के बावजूद बाँधों में कम/बिल्कुल पानी नही आना दोषपूर्ण हाइड्रोलोजी को दर्शाता है जिससे 16 लघु सिंचाई परियोजनाओं पर ₹ 20.88 करोड़ का अलाभकारी व्यय हुआ। संवेदक को ₹ 2.75 करोड़ का अदेय लाभ पहुंचाया गया क्योकि परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति आरोपित नही की गयी।

इसके अतिरिक्त, राज्य जल नीति के अनुसार जल की दरों में संशोधन नहीं करने से राज्य सरकार को राशि ₹ 147.50 करोड़ के राजस्व से वंचित रहना पड़ा तथा जल नियामक प्राधिकरण की स्थापना और निर्धारित माइलस्टोन प्राप्त नही करने के कारण यूरोपियन आयोग से अनुदान राशि ₹ 307.77 करोड़ प्राप्त नहीं हुई। निक्षेप कार्यो पर उपगत अधिक व्यय ₹ 2.01 करोड़ की वसूली नही हुई तथा राज्य की संचित निधि मे अदावाकृत निक्षेप शेष ₹ 0.95 करोड़ जमा नही हुए। बिना नहर, बाँधो के निर्माण

के लिए सिंचाई परियोनाऐं स्वीकृत की गयी तथा इसके परिणामस्वरूप पानी की उपयोगिता द्वारा सिंचाई क्षमता के लक्ष्य की प्राप्ति का अभाव रहा और इन परियोजनाओं पर ₹ 6.56 करोड़ का अलाभकारी व्यय उपगत हुआ। पर्यवेक्षण एवं प्रशासनिक निरीक्षण प्रणाली, अनुश्रवण और आन्तरिक नियन्त्रण तन्त्र कमजोर थे तथा विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा 1994 से बकाया थी।

2.1.1 परिचय

जल संसाधन विभाग (2005 तक सिंचाई विभाग) की स्थापना वर्ष 1949 मे सतही जल के श्रेष्ठतम उपयोग एवं अन्तर्राज्यीय नदी थालों के जल का कृषि और बाढ़ नियन्त्रण के उद्देश्य हेतु की गयी थी। राज्य के कुल क्षेत्रफल 342.52 लाख हैक्टेयर (है.) में से 257 लाख है. (75 प्रतिशत) कृषि योग्य भूमि है जो कि देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 11 प्रतिशत है। विभाग ने सतही जल का उपयोग और सिंचाई क्षमता सृजित करने के लिए विभिन्न वृहद, मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाऐं शुरू की।

2.1.2 संगठनात्मक ढांचा

राज्य स्तर पर, प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं। तकनीकी मामलो हेतु विभागीय स्तर पर मुख्य अभियंता (मु.अ.) अतिरिक्त सचिव के रूप मे चार मु.अ./अतिरिक्त मुख्य अभियंता (अ.मु.अ.)[1] की सहायता से कार्य करते हैं। परियोजनाओं/गतिविधियों के लिए चार और मु.अ.[2] कार्य कर रहे है। क्षेत्र स्तर पर 102 खण्डो के अधिशाषी अभियंता (अ.अ.), 28 अधीक्षण अभियंताओं (अधी.अ.) द्वारा पर्यवेक्षित होते है। जल संसाधन विभाग का संगठनात्मक ढांचा ***परिशिष्ट 2.1*** मे दिया गया है।

2.1.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निर्धारित करना कि क्या:

- विभाग योजना का एक कुशल और प्रभावी तन्त्र रखता था,
- परियोजनाओं/योजनाओं के लिए धन का आवंटन, जारी करना तथा उपयोग पर्याप्त था और परिचालन नियन्त्रण प्रभावी था,
- परियोजनाओं को कुशलतापूर्वक, प्रभावी तथा मितव्ययतापूर्वक निष्पादित किया गया था,
- गुणवत्ता नियंत्रण, आन्तरिक नियन्त्रण और अनुश्रवण पर्याप्त था।

1. अ.मु.अ. जयपुर, अ.मु.अ. जोधपुर, अ.मु.अ. उदयपुर, मु.अ. कोटा,
2. मु.अ. गुण नियन्त्रण एवं सतर्कता जयपुर, मु.अ. राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग, (रा.ज.सं.आ.वि.) जयपुर, मु.अ. (उत्तर) हनुमानगढ, मु.अ. नर्मदा नहर सांचोर,

2.1.4 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्न से प्राप्त किये गये हैं:

- लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम (लो.नि.वि. एवं ले.नि),
- राजस्थान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (सा.वि. एवं ले.नि),
- राजस्थान सरकार का बजट मैनुअल,
- विभागीय मैनुअल और परियोजनाओं/योजनाओं के दिशा-निर्देश,
- भारत सरकार/राजस्थान सरकार/विदेशों से सहायता प्राप्त योजनाओं द्वारा समय-समय जारी दिशा-निर्देश/आदेश,
- राजस्थान किसान की सिंचाई प्रणाली के प्रबन्धन मे भागीदारी अधिनियम, 2000
- राजस्थान सिंचाई और ड्रेनेज अधिनियम, 1954 और नियम, 1955

2.1.5 लेखापरीखा कार्यक्षेत्र और कार्य प्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा का कार्य माह फरवरी 2012 से जून 2012 के दौरान 2009-12 की अवधि को शामिल कर संचालित किया गया। राजकीय सचिवालय, अनुसंधान, ड्राईग एंव डिजाईन (आई.डी.एण्ड आर.) और गुण नियन्त्रण एवं सतर्कता खण्डों सहित मुख्य अभियंताओं और जोनल कार्यालयों के अभिलेखों की जांच की गई। निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए 102 खण्डों मे से 25 खण्डों[3] का व्यवस्थित नमूना पद्धति अपनाते हुऐ सभी सम्भागो के व्ययो को अधोगत क्रम में स्थापित करते हुए चयन किया गया। चयनित खण्डो में सम्पूर्ण परियोजनाओं (एक दीर्घ चार मध्यम व 37 लघु) की नमूना जांच की।

इस विषय पर निष्पादन लेखापरीक्षा, मार्च 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल), राजस्थान सरकार मे शामिल की गयी थी।

अतिरिक्त सचिव एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के साथ 22 मई 2012 को ''प्रारम्भिक बैठक'' आयोजित की गयी थी जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा उद्देश्य, क्षेत्र तथा कार्य प्रणाली पर विचार-विमर्श किया गया। अतिरिक्त

3. अअजसं खण्ड छबड़ा, चित्तौड़गढ, दौसा, डूंगरपुर, एस के ए पी नहर खण्ड डूंगरपुर, आर.डब्लू. एस.आर.पी खण्ड हनुमानगढ, खण्ड II हनुमानगढ, जयपुर, चवली नहर परियोजना खण्ड झालावाड़, जोधपुर, करोली, कोटा, मेड़ता सिटी, रावतसर, यान्त्रिक खण्ड सांचोर, नर्मदा केनाल परियोजना खण्ड I सांचोर, सीकर, सूरतगढ व उदयपुर, गुण नियन्त्रण एवं सर्तकता खण्ड जयपुर व उदयपुर, म.गां.रा.ग्रा.रो.गा.अ खण्ड हनुमानगढ, झालावाड़, जोधपुर व कोटा

सचिव एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के साथ 12 दिसम्बर 2012 को ''समापन बैठक'' मे निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षो पर विचार-विमर्श किया गया। दिसम्बर 2012 मे निष्पादन लेखापरीक्षा पर उत्तर प्राप्त हुए थे जिनको यथायोग्य शामिल कर लिया गया।

भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग, लेखापरीक्षा को आवश्यक सूचना और अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए जल संसाधन विभाग तथा उसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग के लिए आभार प्रकट करता है।

2.1.6 आयोजना

राजस्थार सरकार द्वारा 1999 मे दीर्घकालीन राज्य जल योजना द्वारा समर्थित, जल नीति बनाई गई जिसको 2010 मे पुनः संशोधित किया गया। नीति के मुख्य उद्धेश्यों में जल विकास परियोजनाओं की प्राथमिकता, सतही तथा भू-जल संसाधनो का एकीकरण, अर्न्तराज्यीय जल का श्रेष्ठतम उपयोग, जल संसाधन परियोजनाओं के विकास तथा प्रबन्धन मे सार्वजनिक-निजी भागीदारी, चल रही परियोजनाओं का आलोचनात्मक आंकलन, नई सिंचाई योजनाओं के गठन के पहले जल की उपलब्धता का ध्यान रखना शामिल है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभाग द्वारा पांच वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की गई जिसे वार्षिक योजना में खण्डित किया गया जो खण्डो से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर तैयार की गयी थी। यद्यपि, जल संसाधनों का विकास नहीं हुआ जैसा कि जल नीति मे परिकल्पित था तथा विवाद रहित भूमि की उपलब्धता, धन की पर्याप्तता, परियोजनाओं की व्यवहार्यता को सुरक्षित किये बिना कार्य निष्पादित किये गये, जिनका विवरण निष्पादन लेखापरीक्षा में दिया गया है।

भूमि की उपलब्धता के बिना कार्य के आवंटन के परिणामस्वरुप लागत अभिवृद्धि ₹ 80.84 करोड़।

2.1.6.1 लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम (लो.नि.वि.एवं ले.नि.) के नियम 351 में उल्लिखित किया गया है कि किसी ऐसी भूमि पर कार्य प्रारम्भ नहीं करना चाहिए जिसे उत्तरदायी सिविल अधिकारी द्वारा सम्यक रुप से सौंपा नहीं गया हो। इसी के नियम 298(1) में भी कहा गया है कि भूमि की उपलब्धता किसी कार्य के आयोजना तथा डिजाईन के लिए पूर्व अपेक्षित है।

दो लघु सिंचाई परियोजना[4] तथा एक फीडर ***(परिशिष्ट 2.2)*** की नमूना जाँच में पाया गया कि ये कार्य निर्धारित समयावधि के भीतर पूर्ण नहीं हो सके तथा मार्च 2012 तक भी प्रगतिरत थे। इन कार्यो के पूर्ण होने में देरी का मुख्य कारण परियोजना कार्यो की स्वीकृति/आवंटन के पूर्व विभाग के पास भूमि का विधिक स्वत्वाधिकार की अनुपलब्धता थी।

4. ल.सि.प.-बीबीएससी 8 से 20.11 किमी, तकली सिंचाई और जल आपूर्ति परियोजना तथा सुदारी फीडर।

विभाग द्वारा परियोजना कार्यों की स्वीकृति/कार्यादेश जारी करने के पश्चात् वन भूमि की स्वीकृति/निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए कार्यवाही शुरु की गयी थी जिसके परिणामस्वरुप न केवल ₹ 80.84 करोड़ की लागत अभिवृद्धि सहित परियोजनाओं को पूर्ण होने में विलम्ब हुआ बल्कि लाभार्थी किसानों को सिंचाई सुविधाओं के लाभों में देरी हुई।

अधिशाषी अभियंता, बी. एण्ड आर. सी. खण्ड, बांसवाड़ा ने कहा (मई 2012) कि वन भूमि की स्वीकृति की प्रक्रिया में एक लम्बा समय लग गया। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि भूमि का स्पष्ट स्वामित्व परियोजना की स्वीकृति के लिए पूर्व अपेक्षित था जबकि खण्ड द्वारा की गई पूरी कार्यवाही पश्च स्वीकृति थी, जो कि उपरोक्त नियम का उल्लघंन था।

तकली सिंचाई और जल प्रदाय परियोजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (दिसम्बर 2012) कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से किया गया था और तद्नुसार कार्य निष्पादित किया गया। सुदारी फीडर के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कहा (दिसम्बर 2012) कि कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रयास किये जा रहे थे।

अव्यवहार्य लघु सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण पर अलाभकारी व्यय राशि ₹ 24.72 करोड़।

2.1.6.2 आठ खण्डो में 16 लघु सिंचाई परियोजनाओं *(परिशिष्ट 2.3)*, जिनका निर्माण जुलाई 2002 तथा अप्रैल 2010 के बीच किया गया था, के अभिलेखों की जाँच (मार्च-मई 2012) में पाया गया कि इन लघु सिंचाई परियोजनाओं की भण्डारण क्षमता (8.35 एमसीएफटी से 101.11 एमसीएफटी) से 4,053.93 है. कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र (कृ.सिं.क्षे.) में सिंचाई अनुमानित की गयी थी। यद्यपि इन लघु सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति, व्यवहार्य परियोजना के रूप में अच्छे जल रन ऑफ की गणना के आधार पर की गयी थी और स्ट्रेन्ज तालिका[5] के अनुसार जलग्रहण क्षेत्र को अच्छा/औसत के रुप में वर्गीकृत किया गया था लेकिन अच्छी वर्षा के बावजूद इनके पूर्ण होने के बाद भी इन लघु सिंचाई परियोजनाओं में कम/बिल्कुल पानी प्राप्त नहीं हुआ। इन नवनिर्मित/पुनर्निर्मित लघु सिंचाई परियोजनाओं में कम/बिलकुल पानी प्राप्त नहीं होने के परिणामस्वरुप न केवल इन लघु सिंचाई परियोजनाओं पर ₹ 20.88 करोड़ का अलाभकारी व्यय हुआ बल्कि लक्षित किसान भी इच्छित सिंचाई सुविधाओं से वंचित रहे। लघु सिंचाई परियोजनाओं में वर्षा का वर्षवार विवरण, अनुमानित जल प्राप्ति तथा वास्तविक जल प्राप्ति का विवरण *परिशिष्ट 2.3* में दिया गया है।

5. स्ट्रेन्ज तालिका- लसिंप की पानी आवक की गणना के लिए सर डब्ल्यू.एल. स्ट्रेन्ज, एक अंग्रेज अभियन्ता, द्वारा तैयार की गयी तालिका।

राज्य सरकार ने कहा (नवम्बर 2012) कि:

अलवर खण्ड की आमका तथा निम्बाहेरी और सीकर खण्ड की करोई, फतेहपुरा तथा सवाईपुरा लघु सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में स्ट्रेन्ज तालिका के अनुसार रन ऑफ की स्वीकार्य पद्धति अपनायी गयी थी जिसकी कई सीमाएं थी जैसा कि इसमें वर्षा की तीव्रता और जलग्रहण क्षेत्र के आकार को शामिल नहीं किया जाता। लघु सिंचाई परियोजनाओं में पानी की आवक की गणना निकटतम वर्षामापी स्टेशनों के वर्षा आंकडों पर आधारित थी। चूंकि ये स्टेशन पर्याप्त रुप से जलग्रहण क्षेत्र में स्थित नहीं थे, अत: इन वर्षामापी स्टेशनों के आंकड़े जलग्रहण क्षेत्र के आंकड़ो को पूर्णत: प्रतिबिम्बित नहीं करते हैं। जैसाकि वर्षा निरन्तर न होकर रुक-रुक कर होती है अत: वर्षा का पानी रन ऑफ में परिवर्तित नहीं होता है।

बरलूट लघु सिंचाई परियोजना (सिरोही) के सम्बन्ध में कहा कि बाँध में पानी की आवक पर्याप्त वर्षा पर निर्भर है। ताई का खेड़ा (झालावाड़) के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कहा (नवम्बर 2012) कि वर्षा कम तीव्रता के साथ अल्प थी, इसलिए बाँध आठ बार के बजाय एक बार ही भरा गया जो 46.67 प्रतिशत के स्थान पर 12.5 प्रतिशत आश्रितता दर्शाता है।

अन्य खण्डों ने कहा (मार्च-मई 2012) कि बाँधो में पानी की आवक, वर्षा की तीव्रता पर निर्भर करती है।

सरकार का उत्तर प्रतिबिम्बित करता है कि लघु सिंचाई परियोजनाओं की संस्वीकृति से पहले परियोजना की व्यवहार्यता निश्चित नहीं की गयी, हाइड्रोलोजी सही नहीं थी, दूर स्थित वर्षामापी स्टेशन से लिये गये वर्षा के आंकड़े वास्तविक नहीं थे तथा स्ट्रेन्ज तालिका के आधार पर रन ऑफ की गणना सही नहीं थी। इसलिए बाँधो के निर्माण पर किया गया व्यय अलाभकारी रहा।

- दीवानचली लघु सिंचाई परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय (प्र. एवं वि.) स्वीकृति राशि ₹ 3.80 करोड़ राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी थी (मई 2007)। बाँध की भण्डारण क्षमता 34.75 एमसीएफटी (स्थायी भंडारण 2.50 एमसीएफटी तथा सक्रिय भंडारण 32.25 एमसीएफटी) और जलग्रहण क्षेत्र अच्छा तथा मुक्त था। परियोजना द्वारा 205 है. सिंचाई उपलब्ध कराना प्रस्तावित था। औसत वार्षिक वर्षा 640.40 मिमी. बामनवास वर्षामापी स्टेशन पर ली गयी थी।

बाँध के निर्माण का कार्यादेश 30 अप्रैल 2008 को राशि ₹ 3.66 करोड़ का संवेदक को जारी किया गया था तथा कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 8 नवम्बर 2009 थी। संवेदक ने ₹ 3.84 करोड़ का व्यय करने के बाद कार्य पूर्ण किया (अक्टूबर 2009)।

अभिलेखों की जॉच से विदित हुआ कि जलग्रहण क्षेत्र की श्रेणी तथा अभिनिर्धारित रन ऑफ के अनुसार, वर्ष 2010 तथा 2011 के दौरान हुई वर्षा क्रमशः 1,031 मिमी तथा 882 मिमी पर क्रमशः 69.932 एमसीएफटी तथा 50.42 एमसीएफटी पानी प्राप्त किया जाना था लेकिन इन वर्षो में बिल्कुल पानी प्राप्त नहीं हुआ जो यह दर्शाता है कि बाँध की हाइड्रोलोजी सही नहीं थी तथा परियोजना का निर्माण शुरु करने से पहले उचित सर्वेक्षण और अन्वेषण नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरुप बाँध के निर्माण कार्य पर किया गया ₹ 3.84 करोड़ का व्यय निष्फल रहा। इसके अलावा, मु.अ. के निर्देशानुसार बाँध निर्माण और नहर कार्यो को साथ-साथ शुरु नहीं किया गया। बाँध निर्माण कार्य अक्टूबर 2009 में पूर्ण हो गया था लेकिन भूमि की अनुपलब्धता के कारण आज तक नहर कार्य शुरु नहीं किया जा सका (दिसम्बर 2012)।

राज्य सरकार ने कहा (दिसम्बर 2012) कि वर्षा की कमी के कारण बाँध में पानी संग्रहित नहीं हो सका तथा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में देरी के कारण नहर कार्य शुरु नहीं किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि परियोजना का निर्माण शुरू करने से पहले उचित सर्वेक्षण और अन्वेषण नही करने तथा हाईड्रोलोजी सही नही होने के कारण वर्ष 2010 तथा 2011 में पानी बिल्कुल संग्रहित नहीं हुआ। वर्ष 2012 में इसकी भण्डारण क्षमता 34.75 एमसीएफटी के विरुद्ध केवल 11.83 एमसीएफटी पानी ही संग्रहित हुआ, जिससे बाँध के निर्माण पर किया गया ₹ 3.84 करोड़ का व्यय निष्फल रहा तथा क्षेत्र के कृषक भी सिंचाई सुविधाओं के लाभों से वंचित रहे।

गलत बी.सी.आर. की गणना द्वारा अव्यवहार्य परियोजना की स्वीकृति।

2.1.6.3 राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मानकों (जनवरी 1970) के अनुसार लघु सिंचाई परियोजना जिसका न्यूनतम लाभ-लागत अनुपात (बी.सी.आर.) 1.5:1 हो, मुख्य अभियंता द्वारा वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृत की जा सकती थी।

उन क्षेत्रों में, जहाँ कोई सिंचाई कार्य पिछली तीन योजनाओं के दौरान शुरु नहीं किया गया तथा कमी और पिछड़े या पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ परियोजनाओं, जिनका बी.सी.आर. 1:1 अथवा इससे अधिक है लेकिन 1.5:1 से कम है, प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृत किया जा सकता है। ऐसी परियोजना के मामलों में, जहाँ बी.सी.आर. 1:1 से कम है, मंत्रिमण्डल के अनुमोदन से स्वीकृत की जा सकती है। सिंचाई मैनुअल के अनुसार, बी.सी.आर. की गणना अनुमानित वार्षिक लागत से अनुमानित वार्षिक शुद्ध लाभ को विभाजित करके की जाती है।

निम्नलिखित खण्ड़ो के अभिलेखों की जाँच से विदित हुआ कि राज्य सरकार ने अव्यवहार्य परियोजनाओं को परियोजना की कुल लागत में से ब्याज राशि, मूल्यह्रास, मूल्यवृद्धि और अंश लागत, जो कि जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग (जन.स्वा.

अभि.वि.) द्वारा वहन करनी थी, को अलग करते हुए बी.सी.आर. को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के भीतर लाकर परियोजना को व्यवहार्य के रुप में दिखाते हुए स्वीकृत किया। भीखा भाई सागवाड़ा नहर (बीबीएससी) के मामले में मंत्रिमण्डल की पूर्व अनुमति प्राप्त नही की गयी थी।

तालिका 1: विभाग तथा लेखापरीक्षा द्वारा की गई बी सी आर की गणना का विवरण

क्र. सं.	खण्ड का नाम	परियोजना का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति	विभाग द्वारा की गई बी. सी.आर. की गणना	परियोजना को व्यवहार्य बनाने के लिए परियोजना लागत में मद शामिल नहीं की गयी	स्तम्भ '6' में दी गई राशि को शामिल करने के पश्चात् बी.सी. आर.यह होगा
1	अ.अ., बी एण्ड आर सी खण्ड माही परियोजना बांसवाड़ा	बी बी एस सी आरडी 8 से 20.11 किमी	27 दिसम्बर 2004	1.11:1	ब्याज तथा मूल्यहास ₹ 2.70 करोड़ तथा ₹ 27 लाख के स्थान पर क्रमशः ₹ 2.40 करोड़ तथा ₹ 23.94 लाख लिया गया	0.99:1
2	अ.अ.जसंवि खण्ड, कोटा	तकली सिंचाई एवं जल प्रदाय परियोजना	जुलाई 2006 संशोधित जुलाई 2011	1.51:1	शेयर लागत ₹ 12.60 करोड़ जन स्वा. अभि. विभाग द्वारा वहन किया जाएगा	1.16:1

राज्य सरकार ने बीबीएससी परियोजना के सम्बन्ध में कहा (दिसम्बर 2012) कि केन्द्रीय जल आयोग (के.ज.आ.) द्वारा अपनाये गये स्वीकृत मानक व्यवहार के अनुसार बी.सी.आर. की गणना की गयी थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि बी.सी.आर. की गणना के लिए खण्ड द्वारा उन कारणों को नहीं बताया गया जिनके रहते बी.सी.आर. की गणना में कम राशि को शामिल किया गया।

राज्य सरकार ने तकली लघु सिंचाई परियोजना के सम्बन्ध में कहा (दिसम्बर 2012) कि बी.सी.आर. की गणना के लिए परियोजना लागत की गणना न्यायोचित थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा वहन की गयी अंश लागत, परियोजना लागत का भाग थी तद्नुसार ही बी.सी.आर. की गणना की जानी थी।

नहर के बिना बाँध के निर्माण के परिणामस्वरुप निष्फल व्यय।

2.1.6.4 बाँध निर्माण और नहर कार्यो को साथ-साथ शुरु किया जाना चाहिए था, ताकि बाँध में संग्रहित जल का सिंचाई हेतु तुरंत उपयोग किया जा सके। अ.अ. खण्ड दौसा के अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया गया कि सूरजपुरा लघु सिंचाई परियोजना के लिए 221 है. सीसीए सृजन करने के लिए 36.08 एमसीएफटी पानी के भण्डारण के लिए बाँध तथा नहर के निर्माण के लिए ₹ 1.73 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी (अप्रैल 2005)। बाँध के निर्माण का कार्यादेश संवेदक 'अ' को राशि ₹ 48.62 लाख में निर्धारित कार्य पूर्णता तिथि 7 फरवरी 2007 के साथ दिया गया था (29 मार्च 2006)। संवेदक ने मात्र ₹ 17.47 लाख का कार्य निष्पादित किया और फिर कार्य को अपूर्ण छोड़ दिया। शेष कार्य 28 दिसम्बर 2007 को दूसरे संवेदक 'ब' को ₹ 38.53 लाख में दिया गया। संवेदक द्वारा ₹ 29.27 लाख का व्यय करने के उपरांत जून 2009 में कार्य पूर्ण कर दिया। इसके अलावा, नहर का कार्य संवेदक 'स' को ₹ 15.09 लाख में 1 मार्च 2008 को दिया गया परन्तु संवेदक ने ₹ 3.53 लाख का कार्य निष्पादित करने के पश्चात् भूमि का मुआवजा भुगतान नहीं करने के कारण किसानों के विरोध के कारण कार्य अपूर्ण छोड़ दिया। इस प्रकार, नहर कार्य पूर्ण न होने के कारण, बाँध में संग्रहित किये गये पानी का उपयोग नही किया जा सका और परियोजना पर किया गया व्यय ₹ 53.83 लाख निष्फल रहा।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (दिसम्बर 2012) कि भूमि के अधिग्रहण के पश्चात् कार्य पूर्ण किया जा सकेगा।

○ राज्य सरकार ने ₹ 14.68 करोड़ की लागत की खोह लघु सिंचाई परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की (दिसम्बर 2007) कि परियोजना का निर्माण शुरु करने से पहले परियोजना की हाइड्रोलोजी और डिजायन को अन्वेषण, ड्राइंग एवं रिसर्च (अ.ड्रा.एवं रि.), जयपुर से अनुमोदित करवा लिया जायेगा, पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जावेगी और वन विभाग से स्वीकृति ले ली जायेगी। परियोजना को 30 वर्षो के वर्षा आंकड़ो के आधार पर निकाली गई हाइड्रोलोजी द्वारा स्वीकृत किया गया था। मिट्टी के बाँध, स्लूस और बाईवाश के निर्माण का ₹ 6.28 करोड़ का कार्य संवेदक को 22 अगस्त 2008 को निर्धारित कार्य पूर्णता तिथि 8 सितम्बर 2010 तय करते हुए दिया गया। कार्य प्रगतिरत था और मार्च 2012 तक राशि ₹ 6.02 करोड़ का व्यय उपगत किया गया था।

जल संसाधन विभाग के मंत्री की अध्यक्षता मे 28 जुलाई 2010 को हुई बैठक मे यह निर्णय लिया गया कि दस वर्षो के वर्षा आँकड़ो के आधार पर सभी परियोजनाओं की हाइड्रोलोजी की समीक्षा की जावें। इस मामले में, संशोधित हाइड्रोलोजी अभी तक अन्वेषण, ड्राइंग एवं रिसर्च शाखा से अनुमोदित नहीं कराई गई

(मार्च 2012) जिससे परियोजना की पूर्णता में देरी हुई। इसके अलावा, काश्तकारों द्वारा भूमि विवाद उत्पन्न कर दिये जाने (मार्च 2012) के कारण नहर कार्य को भी नहीं कराया जा सका। बाँध और नहर पूर्ण नहीं करने के कारण, 785 है. मे सिंचाई क्षमता की सुविधा प्राप्त नहीं की जा सकी।

राज्य सरकार ने कहा (दिसम्बर 2012) कि नहरों के संरेखण को अंतिम रुप दिया गया है और शीघ्र ही यह सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवा लिया जायेगा तथा क्षेत्र के काश्तकारों द्वारा भूमि के बदले भूमि की माँग करना ही देरी का मुख्य कारण था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अन्वेषण, ड्राइंग एवं रिसर्च शाखा से संशोधित हाइड्रोलोजी के अनुमोदन में देरी होने और भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करने के कारण बाँध और नहर का निर्माण पूर्ण नही किया जा सका।

राज्य सरकार का यू.आ. की अनुदान राशि ₹ 308 करोड़ से वंचित रहना।

2.1.6.5 राज्य भागीदारी कार्यक्रम (रा.भा.का.) एक बहु क्षेत्रीय नीति समर्थित कार्यक्रम था जिसको यूरोपियन आयोग (यू.आ.) द्वारा वित्त पोषित किया गया था। राज्य जल नीति के अनुसार कार्यक्रम 2006 में लागू किया गया था। कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिये 14 अगस्त 2006 को राजस्थान सरकार तथा यूरोपियन आयोग के मध्य अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया और ₹ 450 करोड़ (80 मिलियन यूरो) यूरोपियन आयोग द्वारा स्वीकृत किये गये थे जिसे 2006-07 से 2011-12 के छः वर्षो के दौरान पेयजल, सिंचाई, भू-जल, वाटरशेड़ और मृदा संरक्षण के लिए उपयोग किया जाना था। राज्य भागीदारी कार्यक्रम को राज्य सरकार के साथ क्षेत्रीय बजट समर्थित व्यवस्था के माध्यम से राज्य के वार्षिक बजट से ट्रांन्च रिलिज जोड़ते हुए निष्पादित करना था। यूरोपियन आयोग की निधि का प्रवाह सहमत ट्रांच रिलिज क्राइटेरिया एण्ड माईलस्टोन के आधार पर होना था। यूरोपियन आयोग की निधि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को हस्तान्तरित होनी थी जो कि बाद मे राज्य कोषालय को अनुदान के रूप में हस्तान्तरित होनी थी। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग को राज्य भागीदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत यूरोपियन आयोग के धन के लिए मुख्य बजट में पृथक बजट लाइन का निर्माण करना था।

राज्य भागीदारी कार्यक्रम, राज्य स्तर पर एक अन्तर क्षेत्रीय समन्वय समिति (अ.क्षे.स.स) से समर्थित मुख्य अभियंता, राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग (रा.ज.सं.आ.वि) द्वारा तथा जिला और उससे नीचे के स्तर पर विद्यमान पंचायती राज संस्थाओं (प.रा.स.) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाना था। नीतिगत मार्गदर्शन और समन्वय की जिम्मेदारी के लिए एक विस्तृत आधार वाली राज्य भागीदारी कार्यक्रम संचालन समिति (का.सं.स) का गठन किया जाना था। कार्यक्रम संचालन समिति द्वारा, समग्र प्रगति और कार्य परिणामों के आधार पर प्रदर्शन, ट्रांच रिलीज माइलस्टोन और संयुक्त समीक्षा मिशन की उपलब्धियों का वर्ष मे न्यूनतम दो बार समीक्षा करनी थी। कार्यक्रम संचालन

समिति और यूरोपियन आयोग संयुक्त रुप से अर्द्धवार्षिक और वार्षिक समीक्षा बैठक प्रतिवर्ष आयोजित करेंगे।

अतिरिक्त मुख्य अभियंता, राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग के अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया गया कि ₹ 450 करोड़ मे से ₹ 142.23 करोड़ का अनुदान वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान जारी किया गया था, जो कि सिर्फ 32 प्रतिशत था तथा शेष अनुदान ₹ 307.77 करोड़, ट्रांच रिलीज क्राईटेरिया की पूर्ति नही करने व माईलस्टोन की प्राप्ति के अभाव मे जारी नही किया गया। इसके अलावा यह पाया गया कि 2011-12 तक ₹ 142.23 करोड़ के आबंटित अनुदान के विरूद्ध ₹ 96.24 करोड़ (68 प्रतिशत) का ही संबंधित विभागों[6] द्वारा विभिन्न गतिविधियों अर्थात् पेयजल, सिंचाई, भू-जल, वाटरशेड़ और मृदा संरक्षण में उपयोग किया गया। जल संसाधन विभाग ने राशि ₹ 29.47 करोड़ का उपयोग, सभी दीर्घ, मध्यम और लघु सिचाई परियोजनाओं की बैंचमार्किंग पर, गेज के स्थापन/मरम्मत, जल संसाधन केन्द्र के बेसिन लेवल को अपडेट करने, गैर सरकारी संगठनो के माध्यम से जल संसाधन के बारे में सलाह करने इत्यादि पर किया। वर्षवार प्राप्त व उपयोग राशि का विवरण निम्न तालिका 2 मे दिया गया हैं।

तालिका 2: प्राप्त और उपयोग किये अनुदान का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0स0	वर्ष	किस्त (ट्रांच)	प्राप्त होने योग्य राशि	प्राप्त राशि	उपयोग/व्यय
1.	2006-07	प्रथम स्थायी	73.12	29.28	8.35
2.	2007-08	द्वितीय स्थायी		34.48	14.34
3.	2008-09	-	84.38	-	21.99
4.	2009-10	द्वितीय परिवर्तनीय	112.50	13.76	1.90
5.	2010-11	तृतीय स्थायी	101.25	47.93	13.71
6.	2010-11	तृतीय परिवर्तनीय		16.78	-
7.	2011-12	-	42.19	-	35.95
8.	टी0ए0, समीक्षा, मूल्यांकन, लेखापरीक्षा		36.56	-	-
योग			**450.00**	**142.23**	**96.24**

स्त्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार ।

विभाग ने कहा (अप्रैल 2012) कि मात्र ₹ 142.23 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ, शेष अनुदान तृतीय परिवर्तनीय के आंशिक रूप में पूरा करने तथा चतुर्थ स्थायी ट्रांच अर्थात जल नियामक प्राधिकरण (ज.नि.प्रा.) के गठन और मिड टर्म एक्सपैन्डिचर फ्रेमवर्क (मि.ट.ए.फ्रे.) के माईलस्टोन की प्राप्ति के अभाव में प्राप्त नहीं हो सका।

6. ज.स्वा.अ.वि., भू.ज.वि., ज.सं.वि., वाटरशेड़ और मृदा संरक्षण और पंचायती राज संस्थान

जल नियामक प्राधिकरण के गठन और मिड टर्म एक्सपैन्डिचर फ्रेमवर्क के सबंध में मामला राजस्थान सरकार के पास विचाराधीन था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग ने यूरोपियन आयोग द्वारा लागू की गई शर्तों की पूर्ति के लिए पर्याप्त तथा समय पर कार्यवाही नहीं की जिससे राज्य सरकार अनुदान के लाभों से वंचित रही।

2.1.7 निष्पादन

प्र. एवं वि. स्वीकृति के बिना कार्य का निष्पादन।

2.1.7.1 लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 285(ब) प्रशासनिक एवं वित्तीय (प्र.एवं वि.) स्वीकृति के बिना कार्यों के निष्पादन पर प्रतिबन्ध लगाता है। अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन विभाग, सूरतगढ के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना बाड़ोपाल, जाखरनवाली और भेरुसारी के जल भराव क्षेत्र की रीच आरडी 0 से 25, आरडी 38 से 57 और आरडी 78 से 91 से पानी निकालने के लिए मुख्य नाली की गहरी खुदाई का मिट्टी का कार्य कराने हेतु ₹ 1.10 करोड़ की अनुमानित लागत की निविदा 29 जुलाई 2008 को आंमत्रित की गई। कार्य के लिए ₹ 1.76 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (उत्तर) हनुमानगढ़ द्वारा 18 अगस्त 2008 को जारी की और राशि ₹ 1.41 करोड़ का कार्य आदेश, कार्यपूर्णता तिथि 22 अप्रेल 2009 के साथ 13 अक्टूबर 2008 को, संवेदक को जारी किया गया। ₹ 1.42 करोड़ का व्यय करने के उपरांत कार्य पूर्ण हो गया (अक्टूबर 2009)। यद्यपि, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अभी तक (जुलाई 2012) प्राप्त नहीं की गई थी।

राज्य सरकार ने कहा (दिसम्बर 2012) कि बाड़ोपाल, जाखरनवाली और भेरुसारी के जल भराव क्षेत्र से पानी निकालने के लिए नाली के निर्माण का कार्य फरवरी 2008 में स्वीकृत हुआ था। उक्त कार्य में बचत थी इसलिए इस राशि को मुख्य नाली की गहरी खुदाई के काम मे उपयोग किया गया और अन्य मदों की राशि को शामिल करते हुए जो इस योजना के अन्तर्गत क्रियान्वित की जानी थी, के लिऐ ₹ 8.70 करोड़ की संशोधित स्वीकृति, अनुमोदन हेतु मार्च 2009 में राज्य सरकार को भेजी गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि गहरी खुदाई का कार्य, जल भराव क्षेत्र से पानी निकालने के कार्य से भिन्न था जिसके लिए नई प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जानी थी।

लो.नि.वि एवं ले.नि. के प्रावधानों के विरुद्ध निर्माण कार्यों/निविदाओं को टुकड़ों में करना।

2.1.7.2 लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 291 में परिकल्पना की गई है कि अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा अपनी स्वयं की सक्षमता मे निविदा रखने के उद्देश्य से कार्यों/निविदाओं को टुकड़ों में विभाजित करना अनियमितता है। इसके अलावा नियम 292 में परिकल्पित है कि किसी ऐसी परियोजना के लिए, जिसमें निर्माण कार्यो का ऐसा कोई ग्रुप सम्मिलित हो, उच्चतर अधिकारी के अनुमोदन या स्वीकृति से इस

तथ्य के कारण बचा नहीं जा सकता कि परियोजना में प्रत्येक विशिष्ट निर्माण कार्य की लागत विशिष्ट प्राधिकारी के अनुमोदन या स्वीकृति की शक्तियों के भीतर है।

बी एण्ड आर.सी. खण्ड, माही परियोजना, बाँसवाड़ा के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि राज्य सरकार ने ₹ 26.16 करोड़ और ₹ 30.94 करोड़ की स्वीकृति, लघु सिंचाई परियोजना (ल.सि.प.) I एवं II के लिए कमशः 27 दिसम्बर 2004 और 26 अप्रेल 2005 को प्रदान की। निविदाओं को मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशाषी अभियंता की सक्षमता में रखने के लिए लघु सिंचाई परियोजना-I और लघु सिंचाई परियोजना-II की स्वीकृति को पृथक-पृथक कार्यों में बाँटा गया और सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किये बिना वर्ष 2005-06 से 2010-11 के वर्षों के दौरान विभिन्न संवेदकों को कार्यादेश जारी किये गये।

अधिशाषी अभियंता, बी एण्ड आर.सी. खण्ड बाँसवाड़ा ने कहा (मई 2012) कि लघु सिचाई परियोजना-I में पृथक कार्यों के लिए पृथक-पृथक अनुमान/सार तैयार किये गये थे इसलिए पृथक अनुमान/सार के लिए एक ही निविदा आमंत्रित नहीं की जा सकती थी। अधिशाषी अभियंता, भीखा भाई सागवाड़ा नहर, सागवाड़ा ने कहा (मई 2012) कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में प्रतिवर्ष निर्माण कार्यक्रम मुख्य अभियन्ता को प्रस्तुत किया जाता है और कार्य उसी प्रकार सम्पादित किये जाते हैं इसलिए यह तथ्य मुख्य अभियंता की जानकारी में था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि दोनों ही मामलों में लघु सिंचाई परियोजना-I और लघु सिंचाई परियोजना-III के लिए एक साथ अनुमान तैयार न करने और स्वीकृति को अलग-अलग कार्यों के टुकडों में बांटने की कार्यवाही उपरोक्त नियमों के विरुद्ध थी

निविदा स्वीकृति में विलम्ब से निधियों का अवरोधन ₹ 79.44 लाख।

2.1.7.3 संवेदक के साथ निष्पादित किये गये अनुबन्ध के परिशिष्ट XI के अनुसार, वित्तीय बिड खोलने की तिथि से, टैण्डर स्वीकृत करने की निर्धारित समयावधि, विभिन्न स्तर के अधिकारियों यथा 20 दिन (अधिशाषी अभियंता), 30 दिन (अधीक्षण अभियंता), 40 दिन (अतिरिक्त मुख्य अभियंता), 50 दिन (मुख्य अभियंता), 60 दिन (प्रशासनिक विभाग), 70 दिन (वित्त समिति/बोर्ड/एम्पावर्ड समिति/एम्पावर्ड बोर्ड) निर्धारित थी।

वानका टैंक के अधिशेष पानी को राजसमन्द जिले के अगरिया टैंक मे डालने के लिए अगरिया फीडर के निर्माण का कार्यादेश संवेदक 'अ' को ₹ 1.12 करोड में दिनांक 28 सितम्बर 2007 को दिया गया था। कार्य प्रारम्भ व पूर्ण करने की निर्धारित तिथियाँ क्रमशः 8 अक्टूबर 2007 व 7 जून 2008 थी। संवेदक द्वारा निर्धारित कार्य पूर्णता तिथि तक ₹ 79.44 लाख के कार्य का निष्पादन किया। तत्पश्चात् कार्य को अपूर्ण छोड़ दिया जिसके लिए संवेदक के विरुद्ध अनुबन्ध की धारा 2 व 3(सी) की कार्यवाही अधिशाषी अभियंता द्वारा की गई (जून 2009), इसके पश्चात्, शेष कार्य के

लिए नये सिरे से निविदाऐं आमंत्रित की गई और ₹ 51.90 लाख का कार्यादेश संवेदक 'ब' को जारी किया गया (मई 2010), परन्तु संवेदक द्वारा न तो अनुबन्ध निष्पादित किया और न ही निर्धारित अवधि में कार्य प्रारम्भ किया जिसके लिए उसके द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि ₹ 4.28 लाख जब्त कर ली गयी। पुन: नई निविदा 28 जून 2010 को आमंत्रित की परन्तु परस्पर सहमति से निविदा वैद्यता तिथि 31 दिसम्बर 2010 तक बढ़ाये जाने के बावजूद विभाग संवेदक 'स' की न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के संबंध में कोई निर्णय नही कर सका, तत्पश्चात् संवेदक द्वारा विभाग की आवश्यकतानुसार 28 फरवरी 2011 तक वैद्यता तिथि बढाये जाने से मना कर दिया गया। निविदा 18 मार्च 2011, 11 मई 2011, 22 जुलाई 2011 तथा 14 सितम्बर 2011 को पुन: आमंत्रित की गई परन्तु कोई जबाब नही मिला।

संवेदक 'सी' की निविदा को निर्धारित/बढायी गई अवधि मे स्वीकार करने के सम्बन्ध में प्राधिकारियों के अनिर्णय के कारण, फीडर का शेष कार्य अपूर्ण पड़ा हुआ है और 7 जून 2008 तक ₹ 79.44 लाख की राशि आज तक (मार्च 2012) अवरुद्ध पड़ी हुई हैं।

अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजसमन्द ने कहा (मार्च 2012) कि उच्चाधिकारियों की स्वीकृति हेतु निविदा प्रस्तुत की गई थी परन्तु मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि में इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।

कार्य निष्पादन में देरी के परिणामस्वरुप सिंचाई लाभों से वंचित रहना।

2.1.7.4 उपसचिव और मुख्य अभियन्ता सिंचाई, राजस्थान जयपुर के तकनीकी सहायक द्वारा पृथ्वीपुरा लघु सिंचाई परियोजना के मुख्य बाँध और नहर के निर्माण की ₹ 1.47 करोड की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 19 नवम्बर 2005 को प्रदान की। ₹ 1.04 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति अधिशाषी अभियंता और अधीक्षण अभियंता, सिंचाई वृत्त झालावाड के तकनीकी सहायक (त.स.) द्वारा 19 जून 2006 को प्रदान की गई थी। प्रस्तावित और वास्तविक सिंचित क्षेत्र 110 है. था।

बाँध निर्माण कार्य का ₹ 1.11 करोड़ का कार्यादेश संवेदक 'अ' को 23 जून 2006 को दिया गया था जिसमें कार्य प्रारम्भ व पूर्ण करने की निर्धारित तिथि क्रमश: 3 जुलाई 2006 और 2 जुलाई 2007 थी। निर्धारित कार्यपूर्णता तिथि तक, संवेदक द्वारा केवल ₹ 46.83 लाख का ही कार्य किया गया। शेष कार्य संवेदक द्वारा सम्पादित न करने के कारण, संवेदक को अंतिम नोटिस 3 अक्टूबर 2008 को जारी किया गया और अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन वृत्त झालावाड द्वारा संवेदक के विरुद्ध अनुबन्ध की धारा 2 व 3(सी) के तहत कार्यवाही 3 जून 2010 को (कार्य पूर्णता तिथि के 35 माह से अधिक व्यतीत होने के बाद) की। शेष कार्य के लिए ₹ 74.41 लाख का कार्यादेश संवेदक 'ब' को दिनांक 29 अक्टूबर 2010 को दिया गया और संवेदक द्वारा ₹ 19.62 लाख का कार्य सम्पादित कर दिया गया। इस

संवेदक द्वारा भी कार्य अपूर्ण छोड़ दिया गया। अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन झालावाड द्वारा धारा 2 व 3(सी) की कार्यवाही 30 अगस्त 2011 को की। इसके बाद नई निविदा आमंत्रित की गई (21 सितम्बर 2011) और शेष कार्य के लिए ₹ 73.16 लाख का कार्यादेश संवेदक 'सी' को जारी किया गया और संवेदक द्वारा दिनांक 20 अप्रेल 2012 को ₹ 34.11 लाख व्यय कर कार्य पूर्ण कर दिया गया।

इस प्रकार, अनुबन्ध की धारा 2 और 3(सी) के तहत संवेदक के विरुद्ध विभाग द्वारा कार्यवाही में देरी के कारण चार वर्ष छः माह से ज्यादा अवधि तक कार्य विलम्बित रहा।

राज्य सरकार ने कहा (नवम्बर 2012) कि पूर्व संवेदको द्वारा कार्य का निष्पादन नही करने के कारण चार वर्ष छः माह से अधिक विलम्ब हुआ, जो विभाग के नियंत्रण से बाहर था। उत्तर स्वीकार्य नही था क्योंकि क्षतिपूर्ति का आरोपण और जोखिम व लागत की संवेदक से वसूली में विलम्ब विभाग की अनुश्रवण की कमी व शिथिलता को दर्शाता है।

क्षतिपूर्ति के आरोपण/वसूली का अभाव।

2.1.7.5 संवेदक के साथ निष्पादित किये गये अनुबन्ध की धारा 2 और 3(सी) के तहत, कार्य की आनुपातिक प्रगति बनाये न रख पाने पर क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए और शेष कार्य को अन्य संवेदक से पूरा कराने पर आयी अतिरिक्त लागत को वहन करने के लिए, संवेदक उत्तरदायी था।

पाँच खण्डों[7] के अभिलेखों की जाँच करने पर विदित हुआ कि छः मामलों में *(परिशिष्ट 2.4)*, क्षतिपूर्ति राशि ₹ 12.04 करोड़ आनुपातिक प्रगति बनाये न रखने के लिए संवेदकों पर आरोपित नहीं/कम की गई और अनुबन्ध के उप-नियम 3(सी) के तहत शेष कार्य को अन्य संवेदक से पूरा कराने पर आयी अतिरिक्त लागत की वसूली नहीं की गई।

राज्य सरकार ने कहा (दिसम्बर 2012) कि मादड़ी बाँध के मामले में पब्लिक डिमांड रिकवरी (पी.डी.आर.) अधिनियम के तहत वसूली की कार्यवाही की जा रही है अकोदरा बाँध के मामले मे 6 जून 2012 तक की समय वृद्धि बिना क्षतिपूर्ति के स्वीकृत कर दी गई है। दूसरी ओर सरकार ने अनुबन्ध की धारा 2 व 3 के तहत संवेदक के विरुद्ध कार्यवाही की है। विभाग के द्वारा विरोधाभासी बयान देने के कारण उत्तर स्वीकार्य नहीं था। पोटोलिया, उसरोल, राजपुरिया लघु सिंचाई परियोजना और लोडीसर बाँध के मामले में राज्य सरकार ने कहा कि राशि की वसूली के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। एच.डी.पी.ई. पाईपलाइन की वितरण प्रणाली में आपूर्ति,

7. अ.अ., ज.सं.वि. खण्ड चित्तौडगढ़, दौसा, डूँगरपुर, न.के.प. खण्ड-I सांचौर और उदयपुर

बिछाने, दराजबंदी और प्रारम्भ करने के संबंध में सरकार ने कहा कि आरोपित किये गये ₹ 1.11 करोड़ में से ₹ 81.38 लाख की कटौती की जा चुकी है।

देरी को विभाग के स्तर पर मान लेने से संवेदक को अदेय लाभ राशि ₹ 2.75 करोड़।

- राज्य सरकार ने ₹ 80.12 करोड़ की गागरीन लघु सिचाई परियोजना स्वीकृत की (जुलाई 2006)। संवेदक को मिट्टी के बाँध, स्पिलवे ओवरफ्लो और नान-ओवरफ्लो के निर्माण के लिए ₹ 31.60 करोड़ का कार्य दिनांक 25 सितम्बर 2007 को दिया गया। कार्य प्रारम्भ व पूर्ण करने की निर्धारित तिथियाँ, वर्षा ऋतु को शामिल करते हुए क्रमशः 5 अक्टूबर 2007 और 4 अक्टूबर 2011 निर्धारित थी। अवरोध पंजिका के अनुसार कार्य, निर्धारित पूर्णता तिथि तक 485 दिनों तक बाधित रहा जिसमें से 470 दिनों की देरी संवेदक के भाग पर व 15 दिनों की देरी विभाग के भाग पर थी। इस अवधि मे कार्य की आनुपातिक प्रगति बनाये न रखने के लिए अनुबन्ध की धारा 2 के तहत संवेदक पर ₹ 2.75 करोड़ की क्षतिपूर्ति का आरोपण किया गया। संवेदक द्वारा निर्धारित कार्य पूर्णता तिथि तक मात्र ₹ 14.02 करोड़ (44 प्रतिशत) का कार्य पूर्ण किया था जिसके लिए विभाग द्वारा ₹ 35.92 लाख की क्षतिपूर्ति की कटौती संवेदक के रनिंग बिलों से की गई (32 वे रनिंग बिल तक)। मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, कोटा ने विलम्ब, विभागीय स्तर पर डालते हुए दिनांक 31 मई 2013 तक समयावृद्धि प्रस्तावित की और उप सचिव व मुख्य अभियन्ता के तकनीकी सहायक ने 31 जनवरी 2013 तक की समयावृद्धि स्वीकृत की और संवेदक के बिलों से दिनांक 28 मार्च 2012 को पूर्व में कटौती की गई क्षतिपूर्ति राशि ₹ 35.92 लाख को लौटा दिया। यद्यपि, अवरोध पंजिका के अनुसार देरी संवेदक के स्तर पर थी और मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग द्वारा धारा 2 व 3 के नोटिस जारी करने के बावजूद, समयावृद्धि बिना क्षतिपूर्ति के स्वीकृत की, परिणामस्वरुप राज्य सरकार को ₹ 2.75 करोड़ का राजस्व का नुकसान हुआ व संवेदक को अदेय लाभ हुआ।

राज्य सरकार ने कहा (दिसम्बर 2012) कि अवरोध पंजिका के अनुसार, संवेदक के स्तर का विलम्ब काश्तकारों द्वारा बाधा उत्पन्न करने के कारण था। वे पुर्नवास, मुआवजा व स्पिलवे के नींव स्तर के ड्राइंग व डिजाईन में अप्रत्याशित परिवर्तन की माँग कर रहे थे। उत्तर स्वीकार्य नही था क्योंकि अवरोध पंजिका स्पष्ट संकेत देती है कि देरी संवेदक के स्तर पर मुख्य रुप से मशीन की अनुपलब्धता, डीजल, मशीन खराब होने और वर्षा ऋतु के कारण थी। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा बताये आधार पर क्षतिपूर्ति में छूट का कोई प्रावधान नहीं था।

2.1.7.6 राज्य सरकार द्वारा ₹ 44.73 करोड़ की ल्हासी मध्यम सिंचाई परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई (मई 2007) और संशोधित स्वीकृति 21 दिसम्बर 2010 को ₹ 106.95 करोड़ की जारी की गई। तकनीकी अनुमान, मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, कोटा द्वारा ₹ 20.57 करोड़ के 15 अक्टूबर 2007 को अनुमोदित किये गये जिसे 21 सितम्बर 2011 को संशोधित कर ₹ 47.64 करोड़ कर दिया गया। अन्वेषण, ड्राइंग एवं रिसर्च शाखा से भू वैज्ञानिक जाँच और स्पिलवे का ड्राईग व डिजाईन अनुमोदित होने के उपरान्त, परियोजना तकनीकी रुप से अनुमोदित हुई और परियोजना का कार्यादेश ₹ 24.14 करोड़ में 19 जनवरी 2008 को जारी किया गया जिसमें कार्य पूर्णता तिथि 28 जनवरी 2011 थी। खुदाई के दौरान, कठोर चट्टान नहीं मिली और स्पिलवे के संशोधित ड्राईग व डिजाईन तैयार करने का मामला केन्द्रीय जल आयोग (के0ज0आ0) को 9 मई 2008 को भेजा गया था। केन्द्रीय जल आयोग से स्पिलवे की ड्राईग व डिजायन बैचेज में प्राप्त होने के कारण, कार्य 8 जून 2009 से 23 दिसम्बर 2010 तक और 10 जनवरी 2011 से 10 जून 2011 तक बाधित रहा जिससे कार्य पूर्ण होने में 716 दिनों की देरी हुई। मुख्य अभियंता, जल संसाधन कोटा ने 9 जुलाई 2015 तक बिना क्षतिपूर्ति के समयावृद्धि की सिफारिश राज्य सरकार को की (21 सितम्बर 2011)। कार्य पूर्णता मे देरी के परिणामस्वरुप ₹ 75.46 करोड़ का अलाभकारी व्यय हुआ और लाभार्थियों को लाभों से वंचित रहना पड़ा।

राज्य सरकार ने कहा (दिसम्बर 2012) कि ड्राईग और डिजाईन के अनुमोदन से पहले प्रभावी भू-वैज्ञानिक जाँच कर ली गई थी। भू-वैज्ञानिक जाँच हमेशा छोटे क्षेत्र मे की जाती है जो कि बडे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मानी जाती है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निर्माण कार्य से पूर्व विस्तृत सर्वेक्षण और मृदा जाँच नहीं की गई थी।

2.1.8 सिंचाई सम्भाव्यता

विभिन्न दीर्घ (इंदिरा गांधी नहर परियोजना को छोडकर), मध्यम और लघु सिचाई परियोजनाओ का निर्माण कर समीक्षा अवधि 2009-12 के दौरान 1.18 लाख है. लक्ष्य के विरुद्ध 1.06 लाख है. मे सिंचाई सम्भाव्यता का सृजन निम्न तालिका 3 मे दिये विवरणानुसार किया गया।

तालिका 3: वर्ष 2009-12 के दौरान सिंचाई सम्भाव्यता सृजन के लक्ष्य एवं उपलब्धियों का विवरण

(हैक्टर में)

वर्ष	दीर्घ		मध्यम		लघु		योग	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2009-10	42,000	42,000	4,000	4,010	1,500	2,994	47,500	49,004
2010-11	30,000	30,000	0	510	3,000	5,396	33,000	35,906
2011-12	30,000	11,000	3,000	2,283	4,647	7,506	37,647	20,789
योग	1,02,000	83,000	7,000	6,803	9,147	15,896	1,18,147	1,05,699

स्त्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

मु.अ. कार्यालय द्वारा सिचाई सम्भाव्यता के उपयोग सबंधी सूचनाए तैयार नहीं की गई थी।

2.1.9 अनुश्रवण

मुख्य अभियंता, राजस्थान, जयपुर को अधीक्षण अभियंता और संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी) की सहायता से दीर्घ, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं की निर्माण गतिविधियों को शामिल करते हुए, विभाग की सभी गतिविधियों पर अनुश्रवण रखे जाने की आवश्यकता है।

2.1.9.1 प्रशासनिक निरीक्षण

जल संसाधन नियमावली का अनुच्छेद 3.4.9 और 3.5.5 कहता है कि अधीक्षण अभियंता और अधिशाषी अभियंता सभी महत्वपूर्ण और प्रमुख निर्माण कार्यो का निरीक्षण करेंगे। प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग ने कार्यो का निरीक्षण करने और रात्रि में मुख्यालय से बाहर ठहराव के संबध मे निम्न तालिका 4 में दिये गये विवरणानुसार मानदण्ड[8] तय करते हुए परिपत्र जारी किया (मई 2009)।

तालिका 4: अप्रेल 2011 से दिसम्बर 2011 के दौरान निरीक्षण और रात्रि विश्राम के लक्ष्य और उपलब्धियों का विवरण

पदनाम	पदों की संख्या	निरीक्षण			रात्रि विश्राम		
		कुल लक्ष्य जो प्राप्त करने थे	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत	कुल लक्ष्य जो प्राप्त करने थे	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत
मु.अ.और अ.मु.अ.	6	273	242	88.64	180	131	72.78
अधी.अ.	19	1292	889	68.81	855	296	34.62
अ.अ.	53	3816	3237	84.83	3021	1310	43.36

स्त्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

8. कार्य का निरीक्षण करने के मानदण्ड मु0अ0-30, अ0मु0अ0-90, अधी.अ.-90, अ.अ.96 और रात्रि ठहराव के लिए मु0अ0-20, अ0मु0अ0-60, अधी.अ0-60 और अ0अ0-75

विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से पता चलता है कि अप्रैल 2011 से दिसम्बर 2011 के दौरान चारों संभागों में मुख्य अभियंता से अधिशाषी अभियंता तक निरीक्षण और रात्रि ठहराव के क्रमशः 68.81 से 88.64 प्रतिशत और 34.62 से 72.78 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किये। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि इन प्राधिकारियों द्वारा न तो निरीक्षण प्रपत्र जारी किये गये और न ही तीन सभांगो (जयपुर, कोटा और हनुमानगढ) से अनुपालना प्रतिवेदन प्राप्त हुए। वर्ष 2009-10, 2010-11, दिसम्बर 2011 से मार्च 2012 की निरीक्षण से सबंधित सूचना और पंजिका, लेखापरीक्षा को उपलब्ध नही कराई।

- अधिशाषी अभियंता, आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. खण्ड हनुमानगढ के अभिलेखों की समीक्षा में पता चला कि भाखडा नहर प्रणाली (बी.के-12) की मोरजान्ड़ा, धोलीपाल और बहरामपुर लघु वितरिका के पुर्नवास का कार्यादेश एक संवेदक को ₹ 15.29 करोड़ में 12 मई 2006 को दिया गया था। संवेदक को कार्य 11 मई 2008 तक पूर्ण करना था परन्तु बहरामपुर लघु वितरिका में पेड़ों की कटाई में 234 दिनों की देरी, रीच आरडी 13.350 से 13.705 कि.मी. में भूमि अवाप्ति में 174 दिनों की देरी और नहर क्षमता में संशोधन के लिए 191 दिनों की देरी के कारण कार्य कुल मिलाकर 673 दिन विलम्बित हुआ और संवेदक द्वारा वास्तव मे मार्च 2010 मे पूर्ण किया। यह पाया गया कि कार्य में विलम्ब का मुख्य कारण खण्डीय अधिकारी की शिथिलता या अनुश्रवण की विफलता था। राज्य सरकार ने मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग (उत्तर), हनुमानगढ़ को कार्य में विलम्ब और अधिकारियों की शिथिलता के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण करने के लिए निर्देश जारी किये (दिसम्बर 2010), परन्तु अधिकारियों के विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही नही हुई (मार्च 2012)। संवेदक को 36 वें रनिंग बिल तक कुल ₹ 14.79 करोड़ का व मूल्य वृद्धि के ₹ 2.55 करोड़ का भुगतान किया गया था। विभाग द्वारा कोई भी अवरोध पंजिका का संधारण नही किया गया था। 673 दिनों की देरी के परिणामस्वरुप निर्धारित पूर्णता तिथि के पश्चात् किये गये कार्य हेतु संवेदक को मूल्य वृद्धि के लिए ₹ 71.19 लाख का परिहार्य भुगतान किया गया। इस प्रकार, विभाग के स्तर पर अनुश्रवण की विफलता और कार्य पूर्णता में देरी के कारण संवेदक को मूल्य वृद्धि का भुगतान किया, जिससे बचा जा सकता था।

राज्य सरकार ने कहा (दिसम्बर 2012) कि उत्तरदायित्व निर्धारण का मामला राज्य सरकार के पास विचाराधीन है।

उपयोग में ली गई सामग्री का मानदण्डों के अनुरुप न होना।

- भीखा भाई सागवाडा नहर (रीच आरडी 21.070 से 21.100 कि.मी.) के बाँध खण्ड द्वारा संधारित सामग्री परीक्षण पंजिका की समीक्षा के दौरान पाया गया कि रेत और एग्रीगेट निम्न तालिका 5 में दिये विवरणानुसार निर्धारित मानदण्डों के अनुसार नहीं पाये गये।

तालिका 5: निर्माण मे प्रयुक्त सामग्री के मानदण्ड व परिणाम का विवरण

दिनांक	स्थान	सामग्री	परिणाम	मानदण्ड
15 फरवरी 2011	21070 से 21100 मी.	रेत	एफ.एम.3.20	2.20 से 3.00
20 फरवरी 2011	-वही-	-वही-	एफ.एम.3.11	-वही-
24 फरवरी 2011	-वही-	-वही-	एफ.एम.3.12	-वही-
16 मई 2011	21070 मी.	-वही-	एफ.एम.3.33	-वही-
23 मई 2011	21040 मी.	एग्रीगेट 4.75 एमएम	81	90-100
		रेत	एफ एम 3.32	2.20 से 3.00
	पियर क्रमांक 11 आरसाइड	एम-20 300 माइक्रोन	6	8-30
21 जून 2011	पियर-9	10 एम.एम.	19-23	25-55

- ***दैनिक सीमेन्ट खपत पंजिका***

पंजिकाओं का समुचित रखरखाव न होना।

रोहिणी लघु सिचाई परियोजना की पंजिका की जाँच करने पर यह विदित हुआ कि सार्वजनिक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के प्रावधानों के अनुसार पंजिका का संधारण निर्धारित प्रोफार्मा प्रपत्र 'आर.पी.डब्ल्यू.ए.35 ए' में करने के स्थान पर सादे रजिस्टर का उपयोग किया जा रहा था। इस पंजिका में दो प्रविष्ठियों के मध्य स्थान रिक्त पाये गये। इसके अलावा, सीमेन्ट बैगों की मात्रा (340, 360 और 340 बैग) जो कि क्रमशः 26 मार्च 2012, 28 मार्च 2012 और 29 मार्च 2012 को प्राप्त हुई थी, पेन्सिल से दर्ज की गई। बीजक/जी आर क्रमांक संदर्भ हेतु दर्ज नहीं पाये गये, इन तिथियों पर अंतिम शेष नही निकाला गया। यह सीमेन्ट पंजिका के अनुचित रखरखाव को दर्शाता है और इस प्रकार कार्य पर सीमेन्ट की वास्तविक खपत को सत्यापित नहीं किया जा सका।

अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन विभाग ने स्वीकार किया (अप्रेल 2012) कि बीजक प्राप्त न होने के कारण सीमेन्ट पंजिका में पेन्सिल से प्रविष्टियाँ की गई। सीमेन्ट पंजिका के उचित रखरखाव के संबध मे निर्देश जारी किये जा रहे है।

○ *कार्य स्थल पंजिका*

कार्य अनुबन्ध कहता है कि एक योग्य 'स्थल अभियन्ता' की स्थल पर नियुक्ति, संवेदक द्वारा की जावेगी जो कार्य निष्पादन के दौरान, कार्य की गुणवत्ता पर निगरानी रखेगा और निरीक्षण अधिकारियों द्वारा की गई टिप्पणीयों की अनुपालना सुनिश्चित करेगा। रोहिणी लघु सिंचाई परियोजना के कार्य स्थल पंजिका की समीक्षा के दौरान यह देखा गया कि स्थल पर कार्य की गुणवत्ता के सबंध में 12 अवसरों पर अभियन्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों की अनुपालना प्रतिवेदन, पंजिका में दर्ज नही थी। बाँध पर योग्य 'स्थल अभियन्ता' की संवेदक द्वारा नियुक्ति नहीं की गई थी, योग्य स्थल अभियन्ता की अनुपस्थिति में और निरीक्षण अधिकारियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को समय-समय पर उचित अनुपालना के अभाव में अधोस्तर सामग्री के इस्तेमाल और बाँध पर अधोस्तर गुणवत्ता के कार्य की संभावना से इंकार नही किया जा सकता।

अधिशाषी अभियंता ने कहा (अप्रेल 2012) कि समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की गई है। तदानुसार, कार्य किया गया था और निर्देशों की अनुपालना के लिए दिशा निर्देश जारी किये जा रहे है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संवेदक द्वारा योग्य 'स्थल अभियन्ता' की नियुक्ति नही की थी और अनुबन्ध की शर्तो का उल्लघंन किया गया था, इसके अलावा कार्य की गुणवत्ता भी बिना अनुश्रवण के रही।

2.1.9.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 16(ii) कहता है कि विभाग में उचित वित्तीय संगठन सुनिश्चित करने के लिए, अधीनस्थ अधिकारियों और आंतरिक जाँच दलों के माध्यम से वित्तीय सलाहकार, संभाग से उपखण्डीय कार्यालयों तक का लगातार निरीक्षण करेगा।

खंडों के अभिलेखों और विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की समीक्षा से पता चला कि पूरे विभाग और इसकी इकाईयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा कराने के लिए केवल एक, दो सदस्यीय (एक सहायक लेखा अधिकारी और एक कनिष्ठ लेखाकार) लेखापरीक्षा दल के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई थी। विभाग और इसकी इकाईयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा 1994 से बकाया चल रही थी, क्योंकि स्टाफ अपर्याप्त था। आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए कोई निर्धारित मानदण्ड नही पाये गये।

यदि बताई गई कमियों का तुरंत निराकरण नही किया जाता है तो आन्तरिक लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता खत्म हो जाती है। मार्च 2012 में, 905 अनुच्छेद और 116 निरीक्षण प्रतिवेदन निम्न तालिका 6 में दिये गये विवरणानुसार बकाया थे।

तालिका 6: बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन और अनुच्छेदो की स्थिति

क्र.स.	संभाग का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनुच्छेदों की संख्या	सबसे पुरानी निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद
1	जयपुर	45	363	1(4/83)	03
2	जोधपुर	22	141	1(4/93)	02
3	कोटा	22	119	6(4/93)	24
4	उदयपुर	27	282	2(4/83)	20
	योग	116	905	10	49

स्त्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

2.1.9.3 लेखापरीक्षा को प्रतिउत्तर

प्रधान महालेखाकार (आ.एवं रा.क्षे.ले.प.),जल संसाधन विभाग (ज.सं.वि.) और इसके अधीनस्थ कार्यालयों की लेखापरीक्षा करने का कार्य करता है और निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) के माध्यम से अनियमितताओं को सूचित करता है। मार्च 2012 में 495 नि.प्र. और 1,843 अनुच्छेद, निम्न तालिका 7 में दिये गये विवरणानुसार अनुपालना के लिये बकाया थे।

तालिका 7: ज.सं.वि. के बकाया अनुच्छेदों/नि.प्र. का 31 मार्च 2012 को अंतिम शेष

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		जोडे गये		अंतिम शेष	
	नि.प्र.	अनुच्छेद	नि.प्र.	अनुच्छेद	नि.प्र.	अनुच्छेद
2009-10	378	1,135	57	273	435	1,408
2010-11	435	1,408	45	297	480	1,705
2011-12	480	1,705	15	138	495	1,843

यह बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की अनुपालना और निपटान के प्रति विभाग के स्तर पर गम्भीरता की कमी को दर्शाता है।

2.1.10 वित्तीय प्रबन्धन

2.1.10.1 वर्ष 2009-12 के दौरान राजस्व मद 2700 से 2702 में मूल बजट आंवटन ₹ 3,945.07 करोड़ था जबकि पूँजीगत मद 4700 से 4702 और 4711 मे

यह ₹ 2,588.80 करोड़ था, जिसके विरुद्ध क्रमशः ₹ 3,873.35 करोड़ और ₹ 2,050.07 करोड़ का व्यय किया गया *(परिशिष्ट 2.5)* बजट आवंटन और व्यय की समीक्षा मे निम्नलिखित अनियमितताओं का पता चला।

- राजस्थान बजट नियमावली के पैरा 52 और 53(2) के अनुसार, बजट की तैयारी हेतु आवश्यक है कि प्राक्कलन, जहाँ तक सम्भव हो सके, सही होना चाहिए और प्रावधान, वर्ष के दौरान उचित स्वीकृति के अधीन, जो कि वास्तव मे भुगतान के योग्य हों, पर आधारित होना चाहिए।

बजट आवंटन तथा व्यय की जाँच से विदित हुआ कि वर्ष 2009-10 से 2011-12 के वर्षो के दौरान पूंजीगत मद मे, बजट प्रावधान के विरुद्ध निर्माण कार्यो पर कम व्यय के कारण 10.23 प्रतिशत और 56.60 प्रतिशत के मध्य बचत हुई।

राज्य सरकार ने कहा (दिसम्बर 2012) कि आवंटित बजट का उपयोग नही किया गया क्योंकि स्थानीय समस्याओं, भूमि के अधिग्रहण तथा वन विभाग की मंजूरी के अभाव में कार्य की प्रगति धीमी रही। उत्तर स्वीकार्य नही था क्योंकि तैयार किये गये बजट अनुमान, उचित स्वीकृति के तहत वर्ष के दौरान होने वाले वास्तविक व्यय पर आधारित नहीं थे।

- व्यय के विश्लेषण से पता चला कि वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान ''राजस्व व्यय'', ''पूंजीगत व्यय'' से 55.79 प्रतिशत से 139.04 प्रतिशत तक अधिक था।

राज्य सरकार ने कहा (दिसम्बर 2012) कि राजस्व मद में अधिक व्यय का कारण, छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतनमानों में संशोधन था तथा पूँजीगत मद में व्यय हस्तगत कार्य और कार्य करने वाली एजेन्सी द्वारा उसकी प्रगति पर निर्भर करता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बजट अनुमान यथार्थवादी आधारों पर नहीं थे और वर्ष के दौरान व्यय के अनुमान के बिना तैयार किये गये थे।

- आधिक्य/बचत के विवरण-पत्र वित्त विभाग (वि.वि.) को 1 फरवरी को प्रस्तुत किये जाने के प्रावधानों के विपरीत मुख्य अभियंता ने इन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्तिम कार्य दिवस पर प्रस्तुत किया। यह देखा गया कि बजट नियमावली के विपरीत समस्त पुनर्विनियोजन आदेश वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन जारी किए गये।

मार्च में व्यय का आधिक्य।

2.1.10.2 राजस्थान बजट नियमावली के पैरा 139 के अनुसार, व्यय समान रुप से प्रबन्धित होना चाहिए, धन के खर्च का आधिक्य, विशेष रुप से वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में, साधारणतया वित्तीय नियमितता के उल्लंघन के रुप में माना जावेगा।

नमूना जॉच किये गये 25 खण्डों में से 18 खण्डों[9] के अभिलेखों और मासिक लेखों की जॉच से पता चला कि वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान मार्च माह में व्यय 26.07 प्रतिशत से 47.37 प्रतिशत के मध्य था, जैसा कि निम्न तालिका 8 में दर्शाया गया है।

तालिका 8: वर्ष 2009-10 से 2011-12 में मार्च के दौरान उपगत व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष में कुल व्यय	मार्च में किया गया व्यय	प्रतिशत
2009-10	179.57	46.83	26.07
2010-11	283.69	134.40	47.37
2011-12	212.28	77.04	36.29

स्त्रोत : विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

राज्य सरकार ने कहा (दिसम्बर 2012) कि ज्यादातर कार्य फरवरी और मार्च में निष्पादित किये गये थे जिससे मार्च में बीते हुए महीनों की तुलना में व्यय में वृद्धि हुई। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि किया गया व्यय बजट नियमावली के प्रावधानों के विपरीत था।

निक्षेप कार्यों पर अधिक व्यय ₹ 2.01 करोड़ की वसूली का अभाव।

2.1.10.3 लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम (लो.नि.वि. एवं ले.नि.) के नियम 568 के अनुसार निक्षेप निर्माण कार्य पर व्यय, प्राप्त निक्षेपों की रकम तक सीमित रखा जाना अपेक्षित है और अधिक व्यय की गई राशि की तुरंत वसूली की जानी चाहिए।

नमूना जाँच किये गये 25 में से पांच खण्डों के अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि पंचायती राज संस्थाओं के निक्षेप कार्यों पर जमा राशि से अधिक व्यय की गई राशि ₹ 2.01 करोड़ *(परिशिष्ट 2.6)* की वसूली/समायोजन आज तक नहीं किया गया (मई 2012)। राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (दिसम्बर 2012) और कहा कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र के समायोजन के उपरांत निक्षेप कार्य की शेष राशि की वसूली कर ली जावेगी।

9. अ.अ., ज.सं. खण्ड छबडा, चित्तौडगढ, दौसा, डूँगरपुर, अ.अ., ज.सं.एस.के.ए.पी. नहर खण्ड डूँगरपुर, अ.अ., ज.सं. आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. खण्ड हनुमानगढ, अ.अ., ज.सं. खण्ड-II हनुमानगढ, अ.अ., ज.सं. सीसीपी खण्ड झालावाड, अ.अ., ज.सं.खण्ड जोधपुर, करौली, कोटा, मेडतासिटी, रावतसर, अ.अ., फील्ड कार्यशाला खण्ड एनसीपी सांचौर, अ.अ., एनसीपी खण्ड-I सांचौर, अ.अ., ज.सं. खण्ड सीकर, सूरतगढ और उदयपुर ।

सरकारी खाते में जमा न कराये गये व्यपगत निक्षेप ₹ 0.95 करोड़।

2.1.10.4 लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 601 के अनुसार, 'निक्षेप' मद के अधीन सभी शेष, जो तीन वर्षो से अधिक अदावाकृत रहते है, को राज्य की संचित निधि में "व्यपगत निक्षेप" के रुप में जमा किया जाना अपेक्षित है।

दो खण्डों की नमूना जाँच से पता चला कि अगस्त 1989 और मई 2009 के बीच विभिन्न संवेदकों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जमा कराई गई राशि ₹ 0.95 करोड़ अदावाकृत पड़ी हुई है और निम्न विवरणानुसार नवम्बर 2012 तक राज्य की संचित निधि में जमा नहीं कराई गई थी।

तालिका 9: सरकारी खाते में जमा न कराये गये व्यपगत निक्षेप

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	खण्ड का नाम	अवधि	राशि
1	अ.अ.,ज.सं.वि.,उदयपुर	8/1989 से 9/2008	0.24
2	अ.अ.,ज.स.वि.,करौली	11/94 से 5/2009	0.71
योग			0.95

स्त्रोत : विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

राज्य सरकार ने कहा (दिसम्बर 2012) कि समीक्षा के उपरांत राशि राजस्व मद में जमा करा दी जावेगी।

कोषागार से चैकों तथा चालानों के मिलान का अभाव।

2.1.10.5 कोषागार से चैकों तथा चालानों के मिलान का अभाव

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 722 के अनुसार, माह की समाप्ति के पश्चात् यथा शीघ्र, सभी कोषागारों से सम्पूर्ण खण्ड के संव्यवहारों का मासिक निपटान किया जाना चाहिए।

16 खण्डों के अभिलेखों की नमूना जाँच *(परिशिष्ट 2.7)* में पता चला कि आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा जारी किये गये चैकों (₹ 7.74 करोड़) तथा जमा कराये गये चालानों (₹ 0.39 करोड़) का कोषालयों से मिलान, खण्डों में लम्बित था। यद्यपि विभागीय तथा कोषागारों में दर्ज आंकड़ो का प्रतिमाह मिलान किया जा रहा था परन्तु उक्त अन्तर का मिलान नहीं किया जा सका। दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। राज्य सरकार ने कहा (दिसम्बर 2012) कि चैकों और चालानों की राशियों के अन्तर को कम करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

₹ 0.93 करोड़ के अग्रिम की वसूली/समायोजन का अभाव।

2.1.10.6 लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 566 के अनुसार वैयक्तिक दायित्व जैसे रोकड़ या स्टॉक की कमी, अस्थायी अग्रिम, स्थायी अग्रिम, रोकड़ या स्टॉक की वास्तविक हानि आदि की मदों के संबंध 'विविध निर्माण कार्य अग्रिम' के प्रति विकलन, व्यक्ति के नाम के प्रति होगा तथा उसका निस्तारण जल्द से जल्द

किया जायेगा। आगे, नियम 130 उपबन्धित करता है कि लघु भुगतानों को करने के लिए कर्मचारी को दिये गये अग्रदाय/अस्थायी अग्रिम को अग्रिम दिये जाने की तिथि से 15 दिवसों में समायोजित किया जाना आवश्यक है।

आठ खण्डों के अभिलेखों की नमूना जांच *(परिशिष्ट 2.8)* में पता चला कि अग्रदाय/अस्थायी अग्रिम की राशि ₹ 0.93 करोड की वसूली/समायोजन आज तक नहीं हुआ था (दिसम्बर 2012)। राज्य सरकार ने कहा (दिसम्बर 2012) कि वसूली और समायोजन की कार्यवाही चल रही है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि राशि की वसूली न करना विभाग के स्तर पर उदासीनता को दर्शाता है।

किराये की वसूली का अभाव।

2.1.10.7 वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1(55)जी.ए./II/77(फरवरी 1998) के अनुसार सरकारी आवासीय सुविधा की वसूली की दर को समय-समय पर संशोधित कर उन कर्मचारियों से वसूली की जानी है जिनको आवास आवंटित किया गया है। अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड, सूरतगढ के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि विभिन्न सरकारी कर्मचारियों को राजकीय आवास उपलब्ध कराये गये थे, परन्तु मासिक किराये के ₹ 5.71 लाख की वसूली नहीं की गई, जिसमें से राशि ₹ 4.34 लाख एक सेवानिवृत कर्मचारी से वसूलनीय थी *(परिशिष्ट 2.9)*।

राज्य सरकार ने कहा (दिसम्बर 2012) कि किराये की वसूली के प्रयास किये जा रहे है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि किराये की मासिक वसूली की निगरानी नहीं की गई जिसके परिणामस्वरुप ₹ 5.71 लाख के किराये की वसूली नहीं हुई।

2.1.10.8 हिस्सा लागत की वसूली का अभाव

रा.रा.वि.उ.नि. से हिस्सा लागत ₹ 27.19 करोड़ की वसूली का अभाव।

- जल संसाधन विभाग के 5 फरवरी 2007 के निर्णय के अनुसार, ल्हासी मध्यम सिंचाई परियोजना की कुल लाइव भण्डारण क्षमता 1,000 एम.सी.एफ.टी. पानी में से 300 एम.सी.एफ.टी. पानी थर्मल पावर प्लांट, छबडा के लिए आरक्षित किया गया था। इस प्लान्ट को राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम (रा.रा.वि.उ.नि.) द्वारा विकसित किया जाना था। ल्हासी मध्यम सिंचाई परियोजना की दिनांक 15 मई 2007 को मूल स्वीकृत राशि ₹ 44.73 करोड़ के अनुसार राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को हिस्सा लागत ₹ 17.35 करोड़ वहन करनी थी। संशोधित परियोजना लागत ₹ 106.95 करोड़ के कारण इसे संशोधित कर ₹ 37.19 करोड़ कर दिया गया था (दिसम्बर 2010)। कुल हिस्सा लागत ₹ 37.19 करोड़ में से केवल ₹ 10 करोड़ ही राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा 5 मार्च 2011 को भुगतान किया गया था तथा शेष ₹ 27.19 करोड़ की राशि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम से अभी भी वसूल की जानी थी (दिसम्बर 2012)।

तथ्यो को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने कहा (दिसम्बर 2012) कि शेष राशि जल्दी से जल्दी जमा कराने के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम से अनुरोध किया गया हैं।

ज.स्वा.अ.वि. से ₹ 246.65 करोड़ की अंश लागत की वसूली का अभाव।

- केन्द्रीय जल आयोग (के.ज.आ.) की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (त्व.सि.ला.का.) के तहत ₹ 1,541.36 करोड़ की लागत की नर्मदा नहर परियोजना के निर्माण की स्वीकृति सिंचाई के साथ-साथ पीने के पानी की आपूर्ति के लिए प्रदान की गई थी। लागत को बाद में संशोधित कर ₹ 2,481.49 करोड़ कर दिया गया जिसमें से ₹ 246.65 करोड़, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को वहन करने थे। परियोजना को 31 मार्च 2013 तक पूरा किया जाना निर्धारित है।

मुख्य अभियंता नर्मदा, सांचौर के अभिलेखों की समीक्षा करने पर पता चला कि हिस्सा लागत ₹ 246.65 करोड़, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से वसूल नहीं किये गये थे।

राज्य सरकार ने कहा (दिसम्बर 2012) कि हिस्सा लागत की वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं।

2.1.10.9 निधियों का विपथन

निधियों का विपथन ₹ 3.55 करोड।

फलौदी कस्बे में पीने के पानी एवं क्षेत्र में पर्यटन के विकास हेतु दिनांक 14 जून 2005 को राशि ₹ 1.36 करोड़ के कार्य की राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी जो पुनः संशोधित कर ₹ 3.51 करोड़ कर दी गई (18 अक्टूबर 2007)। इसका मुख्य उद्देश्य फलौदी नगर पालिका क्षेत्र में स्थित पाँच छोटे तालाबों को 14.35 एम.सी.एफ.टी. पानी भण्डारण क्षमता की झील में परिवर्तन करना था। अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन, खण्ड जोधपुर द्वारा ₹ 2.78 करोड़ का कार्यादेश दिनांक 30 जुलाई 2008 को संवेदक को जारी किया गया था। वर्षा ऋतु को शामिल करते हुए कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 9 जून 2009 थी परन्तु कार्य ₹ 3.55 करोड़ का व्यय करने के पश्चात, वास्तव में 30 अप्रैल 2011 को पूर्ण हुआ।

अभिलेखों की जाँच से पता चला कि ये कार्य नगर क्षेत्र (शहरी स्थानीय निकाय) से संबन्धित थे तथा पीने के पानी के साथ-साथ पर्यटन के उद्देश्य के लिए निर्मित किये गये थे परन्तु कार्य सिंचाई के शीर्ष 4702-जल संचयन संरचना में आवंटित धनराशि से निष्पादित कराये गये थे। इस प्रकार, पानी का उपयोग सिंचाई उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया, सिंचाई निधि का पर्यटन विभाग के कार्यो के लिए विपथन कर दिया गया।

अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन, खण्ड जोधपुर ने कहा (मई 2012) कि झील के निर्माण का उद्देश्य पर्यटन विकास के साथ फलोदी कस्बे के लिये पीने के पानी का

अतिरिक्त भण्डारण करना था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि पाँचो लघु तालाबों का एक झील के रुप में रुपान्तरण करने का उद्देश्य सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना नहीं बल्कि पीने का पानी उपलब्ध कराना व पर्यटन था।

2.1.10.10 जल दरें

जल दरों में संशोधन के अभाव में राजस्व ₹ 147.50 करोड़ से वंचित रहना।

- राष्ट्रीय जल नीति (1987) में सिफारिश की गई कि विभिन्न उपयोगों के लिए जल प्रभार इस तरह तय किया जाना चाहिए कि वह कम से कम संचालन एवं रखरखाव (सं. एवं र.) प्रभार तथा पूंजी लागत के आंशिक भाग की पूर्ति करें। राज्य जल नीति (फरवरी 2010) में भी जल प्रभार इस प्रकार निर्धारण करने को कहा गया जिससे कि उपयोगकर्ता इस संसाधन की कमी व इसके मितव्ययी उपयोग के बारे में जाने।

इसके अलावा, XIII वें वित्त आयोग ने जल क्षेत्र प्रबन्धन हेतु ₹ 224 करोड़ का अनुदान (वार्षिक आवंटन ₹ 56 करोड़ का) चार वर्षो की अवधि अर्थात् 2011-15 के लिए जल प्रभार में अभिवृद्धि की शर्त के साथ स्वीकृत किया था, परन्तु अभी तक कोई संशोधन नहीं किया गया (अप्रैल 2012)। जल दरों में पिछला संशोधन राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 1999 में किया गया था। पानी की विद्यमान दरें अलग-अलग फसलों के लिए अलग-अलग जल प्रभार की औसत गणना के द्वारा तय की गई थी।

सिंचाई जल की वर्तमान दर ₹ 142.70 प्रति है. की गणना, भारित औसत दर पर की गई थी। इस दर पर वसूल की गई राशि, संचालन एवं रख रखाव के खर्चो की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं थी। विभाग ने वर्ष 2006 में बढी हुई जलदर ₹ 260.10 प्रति है. प्रस्तावित की थी। यदि इन दरों को वर्ष 2006 से प्रभावी किया जाता तो प्रतिवर्ष ₹ 24.58 करोड़ अधिक वसूल किया जा सकता था। इसके परिणामस्वरुप, राज्य सरकार छः वर्षो मे ₹ 147.50 करोड़ के राजस्व से वंचित रही।

राज्य सरकार ने कहा (दिसम्बर 2012) कि जलदरों में संशोधन राजस्थान सरकार के अधीन वर्ष 2006 से विचाराधीन है।

कच्चे पानी के शुल्क की सू. सु.थ.पा.के. से वसूली का अभाव ₹ 12.46 करोड़।

- जल संसाधन विभाग द्वारा सूरतगढ सुपर थर्मल पावर केन्द्र (सू.सु.थ.पा.के.), सूरतगढ को बिजली उत्पादन के लिए, जनवरी 1994 से कच्चे पानी की आपूर्ति बिना कोई अनुबन्ध निष्पादित किये, की जा रही थी। पानी की टैरिफ के अनुसार, पानी की आपूर्ति वाणिज्यिक दर ₹ 20 प्रति हजार घनफीट की दर से की जानी थी।

जल संसाधन खण्ड, सूरतगढ के अभिलेखों की समीक्षा में पता चला कि सूरतगढ सुपर थर्मल पावर केन्द्र से जल प्रभार की राशि ₹ 12.46 करोड़ फरवरी 2012 तक

बकाया थी। राजस्थान सिंचाई और ड्रेनेज नियम, 1955 के नियम 31(4) के तहत दण्डनीय ब्याज प्रभारित करते हुए विभाग ने ऐसी वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की।

राज्य सरकार ने कहा (दिसम्बर 2012) कि सू.सु.थ.पा.के. को नोटिस जारी कर दिये हैं और राशि की वसूली के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

ज.स्वा.अ.वि. से जल प्रभार ₹ 77.66 लाख की वसूली का अभाव।

- जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से पीने के पानी की आपूर्ति के लिए वसूल की जाने वाली जलदर को वर्ष 1995 में अधिसूचित किया गया था। आठ खण्डों *(परिशिष्ट 2.10)* की नमूना जाँच में पता चला कि जल प्रभार की राशि ₹ 77.66 लाख जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से लेना बाकी था।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने कहा (दिसम्बर 2012) कि ज.स्वा.अ.वि. से वसूली का मामला पत्राचारधीन हैं।

काश्तकारों से सिंचाई राजस्व की वसूली का अभाव।

- जल संसाधन विभाग ने सिंचाई उद्देश्य के लिए पानी के उपयोग की, काश्तकारों से वसूलनीय जल प्रभार की दरें अधिसूचित की (1999)।

वर्ष 2009-12 के लिए मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं तथा विभाग के अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि जल संसाधन विभाग के पास जल प्रभार से प्राप्त राजस्व का विवरण उपलब्ध नहीं था क्योंकि सिंचाई राजस्व की वसूली के आंकलन का कार्य 2001 से राजस्व विभाग द्वारा किया जा रहा था। जल संसाधन विभाग के पास राजस्व के आंकलन व वसूली पर निगरानी का कोई तंत्र नहीं था। मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग ने तीन सम्भागों हनुमानगढ, उदयपुर और जयपुर से संबंधित सूचनायें उपलब्ध कराई, जिसमें से 2009-12 के दौरान केवल ₹ 11.40 करोड़ से ₹ 21.43 करोड़ (19.90 प्रतिशत से 35.09 प्रतिशत) के मध्य राजस्व की वसूली की गई थी।

राज्य सरकार ने कहा (दिसम्बर 2012) कि सिंचाई राजस्व संग्रहण का कार्य जल संसाधन विभाग के पास नहीं था और इसकी वसूली राजस्व विभाग द्वारा की जा रही थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि आक्षेपित संभागो में राजस्व की वसूली का कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा था।

2.1.11 निष्कर्ष

लघु सिंचाई परियोजनाओं के कार्यो को निर्धारित समय पर पूरा न करने अथवा परियोजना स्वीकृत करने से पूर्व भूमि उपलब्ध न होने, ड्रांईग व डिजाईन अनुमोदन में विलम्ब, धनराशि की कमी के कारण कार्य पूर्णता में काफी देरी होने से, लघु सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के माध्यम से, सतही जल का सिंचाई के लिए उपयोग करने

के राजकीय उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। इन सभी के परिणामस्वरूप परियोजनाओं के लाभों को जनता को प्राप्त करने में विलम्ब तथा लागत में अभिवृद्धि हुई।

परियोजनाओं को व्यवहार्य बनाने के लिए लाभ-लागत अनुपात की गणना गलत तरीके से की गई। अंततः पर्याप्त वर्षा होने के बावजूद भी बाँधो में पानी नही आने/कम आने के कारण परियोजनाऐं पूर्ण होने के बावजूद अव्यवहार्य सिद्ध हुई। जल दरों में संशोधन न करने के कारण राज्य को राजस्व से तथा जल नियामक प्राधिकरण गठित न करने के कारण यूरोपियन आयोग से मिलने वाले अनुदान से वंचित होना पड़ा। जमा कार्यो पर किये गये अतिरिक्त व्ययों की वसूली का अभाव और अदावाकृत जमा शेषों को राज्य की संचित निधि में जमा कराने का अभाव, विविध सार्वजनिक निर्माण अग्रिम और अग्रदाय/अस्थायी अग्रिमों के समायोजन/वसूली का अभाव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (ज.स्वा.अ.वि.) से हिस्सा राशि और सूरतगढ सुपर थर्मल पावर केन्द्र (सू.सु.थ.पा.के.), सूरतगढ से कच्चे पानी की लागत की वसूली का अभाव पाया गया।

पर्यवेक्षण और प्रशासनिक निरीक्षण प्रणाली, निगरानी और आंतरिक नियंत्रण तंत्र कमजोर था। विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा 1994 से बकाया थी जो यह दर्शाती है कि वहाँ कोई सुदृढ वित्तीय संगठन प्रणाली नही है। इसके अलावा, विभाग में कर्मचारियों/फर्मो/खण्डों इत्यादि से विविध सार्वजनिक निर्माण अग्रिम की वसूली में ढिलाई दिखाई दी। प्रधान महालेखाकार द्वारा जारी किये गये बहुत सारे निरीक्षण प्रतिवेदन व अनुच्छेद अनुपालना हेतु बकाया थे।

2.1.12 अनुशंसाएँ

- विभाग के राजस्व में वृद्धि के लिए सिंचाई दरों के पुनः निर्धारण और जल नियामक प्राधिकरण के गठन की आवश्यकता है।
- राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बजट यथार्थवादी और आवश्यकता पर आधारित बनाया गया है।
- परियोजना के कार्य की स्वीकृति/कार्यादेश संवेदकों को देने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि विवाद रहित भूमि उपलब्ध है और वन भूमि के संबंध मे वांछित अनुमतियाँ प्राप्त कर ली गई है।
- परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने के लिए तकनीकी अधिकारियों द्वारा कार्यो की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए।
- आन्तरिक लेखापरीक्षा को मजबूत किया जाना चाहिए तथा लेखापरीक्षा आपत्तियों की समय पर अनुपालना प्रस्तुत की जानी चाहिए।

अध्याय 3
अनुपालना लेखापरीक्षा

अध्याय 3
अनुपालना लेखापरीक्षा

सार्वजनिक निर्माण विभाग (सा.नि.वि) और जल संसाधन विभाग (ज.सं.वि.) के लेनदेनों की लेखापरीक्षा में संसाधन के प्रबंधन की खामियों तथा विनियमन, औचित्यता और मितव्ययता के मापकों की अनुपालना में विफलता के कई दृष्टांत ध्यान में आये हैं। इनको वृहद विषयक शीर्षो के अन्तर्गत अनुवर्ती अनुच्छेदों में प्रस्तुत किया गया है।

3.1 नियमों एवं विनियमों की अनुपालना नहीं किया जाना

जल संसाधन विभाग

3.1.1 अनाधिकृत व्यय

अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, खण्ड-II, भीलवाड़ा द्वारा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के दिशानिर्देशों/प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए संवेदकों के माध्यम से मरम्मत कार्य सम्पादित कराये गये जिसके परिणामस्वरुप राशि ₹ 4.63 करोड़ के अनाधिकृत व्यय के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढाने के उद्देश्य की प्राप्ति का अभाव रहा।

राजस्थान में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (म.गां.रा.ग्रा.रो.गा.यो.), हर घर, जिसका वयस्क सदस्य अकुशल हस्तगत कार्य करने का इच्छुक हो, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करने की गारंटी प्रदान करने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की सुरक्षा के उद्देश्य के लिये फरवरी 2006 से कार्यान्वयनाधीन है। इस योजना में यह प्रावधान है कि किसी भी कार्य को किसी भी शर्त पर संवेदक के माध्यम से कराने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, खण्ड द्वितीय, भीलवाडा के अभिलेखों की नमूना जाँच (सितम्बर 2010) तथा बाद में जनवरी 2011 में एकत्रित सूचना से पता चला कि अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, खण्ड द्वितीय, भीलवाडा द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृतियों (अप्रैल 2009 से जुलाई 2009) के आधार पर जिला कार्यक्रम समन्वयक और जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा द्वारा नहर, एनीकट मरम्मत आदि के 37 कार्यो के लिये ₹ 8.96 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की गयीं (अप्रैल 2009 से जुलाई 2009)। उपरोक्त कार्य विभिन्न संवेदकों को जून 2009 से दिसम्बर 2009 के दौरान ₹ 5.99 करोड़ में दिये गये। कार्यो के लिये सामग्री उसी संवेदक द्वारा प्राप्त करनी थी, मण्डल/कार्य स्थल

भण्डार पर लानी थी एवं कार्यों के लिये जारी करनी थी तथा श्रमिकों को संबंधित पंचायत के माध्यम से लगाना तथा उन्हें मस्टर रोल के माध्यम से भुगतान करना था। 37 कार्यों में से 25 कार्य पूर्ण हो गये थे एवं 12 अभी भी चालू थे तथा ₹ 4.63 करोड़ (कुशल श्रमिक भाग: ₹ 0.43 करोड़ तथा सामग्री भाग: ₹ 4.20 करोड़) व्यय किया जा चुका है। यद्यपि, यह देखा गया कि कार्य संवेदकों के द्वारा करवाये गये एवं ना तो कुशल श्रमिक पंचायत के माध्यम से लगाये गये एवं ना ही संवेदक से प्राप्त सामग्री को कार्यस्थल भण्डार में लिया गया। इस प्रकार, अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा द्वारा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर संवेदकों के द्वारा कार्यों का निष्पादन करवाया गया।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा (अगस्त 2011) कि जाँच के बाद दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। राज्य सरकार ने यह भी कहा (दिसम्बर 2012) कि पंचायत के माध्यम से कुशल/अर्द्धकुशल श्रमिकों की गैर-उपलब्धता के कारण संवेदकों के माध्यम से कार्यों का निष्पादन कराया गया एवं उन्हें भुगतान किया गया। उत्तर तर्क संगत नहीं था, क्योंकि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के दिशा-निर्देश किसी भी परिस्थिति में संवेदकों के माध्यम से कार्य कराने को प्रतिबंधित करते हैं।

इस प्रकार, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर संवेदकों के माध्यम से मरम्मत कार्यों का निष्पादन कराये जाने के कारण ₹ 4.63 करोड़ के अनाधिकृत व्यय के अतिरिक्त हर घर के लिये एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढाने के उद्देश्य की प्राप्ति का अभाव रहा।

3.2 सतत् एवं व्यापक अनियमितताऐं

सार्वजनिक निर्माण विभाग

3.2.1 कार्य स्थल की उपलब्धता के बिना सड़क निर्माण का कार्यादेश जारी किया जाना

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमो का नियम 351 निर्धारित करता है कि ऐसी भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नही करना चाहिए जिसे किसी उत्तरदायी सिविल अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से सोंपा नही गया हो। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना वन भूमि का गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए उपयोग को निषेध करता है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (प्र.म.ग्रा.स.यो) के दिशा-निर्देश (नवम्बर 2004) निर्दिष्ट करते है कि राज्य सरकार/जिला पंचायत यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगी कि प्रस्तावित

सड़क कार्यो को लेने के लिए भूमि उपलब्ध थी तथा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत भूमि अवाप्ति के लिए निधियां उपलब्ध नहीं कराई जायेगी।

विवाद से मुक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना सड़क निर्माण कार्य के आंवटन के सम्बन्ध मे उल्लेख, मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) के अनुच्छेद 3.1.10 मे किया गया था। लोक लेखा समिति की सिफारिश (26 अगस्त 2011) के बावजूद भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना कार्यादेश देने के लिए जिम्मेदार पाये गये अधिकारियो के विरूद्ध विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं की गयी।

वन/निजी भूमि से गुजर रहे सड़क कार्यो को प्रस्तावित व आबंटित करने से अलाभकारी व्यय ₹ 3.44 करोड़।

- प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दो नई सम्पर्क सड़कों[1] के निर्माण एवं सड़को के उन्नयन कार्य बीजापुर से कोरवाफांटा (15 किमी लागत ₹ 4.23 करोड़) तथा ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास कोष XV (आर.आई.डी. एफ. XV) के तहत बावड़ी से केलवा (8.00 किमी.लागत ₹ 0.81 करोड़) की राज्य सरकार द्वारा ₹ 6.93 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी (जुलाई 2007 से मई 2009)। अक्टूबर 2007 से जुलाई 2009 के दौरान दिये गये सड़क कार्य, जो मई 2008 से मार्च 2010 के दौरान पूर्ण किये जाने निश्चित थे, जनवरी 2012 को अपूर्ण थे (34.93 कि.मी. मे से 7.28 कि.मी)। अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, क्षेत्र जोधपुर, अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त-पाली तथा जालौर के अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रेल-मई 2011 एवं जनवरी 2012) मे प्रकट हुआ कि जुलाई 2007 और जून 2009 के मध्य अतिरिक्त मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत संदर्भित सड़कों की परियोजना/तकनीकी प्रतिवेदनों में दो नई सम्पर्क सड़कों के लिए भूमि की उपलब्धता दर्शायी गई थी। जबकि बावडी से केलवा सड़क के संरेखण मे निजी भूमि शामिल थी, बीजापुर से कोरवाफांटा तक सड़क के कि.मी. 8/300 से 11/200 एवं 15/800 से 17/600 (4.7 कि.मी) का भाग वन से होकर गुजर रहा था। तथापि राज्य तकनीकी एजेंसी तथा अतिरिक्त मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियन्ता ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशो का उल्लंघन कर प्रस्तावो को स्वीकृति दी। निष्पादन के दौरान, तीन सड़क कार्य[2] भू-स्वामियों द्वारा रोक दिये गये थे (अप्रेल 2008 से सितम्बर 2009 के मध्य), बीजापुर से कोरवाफांटा सड़क कार्य वन विभाग द्वारा स्वीकृति की प्रत्याशा मे रोका गया था (जून 2009)। परिणामस्वरूप, सडक कार्य, जो मई 2008 से मार्च 2010 के मध्य पूर्ण किये जाने लक्षित थे, ₹ 3.44 करोड़ का व्यय करने के बाद भी जनवरी

1. सम्पर्क सड़क भदवाल से कैलाश नगर (4.03 कि.मी.) ₹ 0.63 करोड़ व सांचौर बखासर सड़क कि.मी. 20 से गोदारों की ढाणी (7.90 कि.मी) ₹ 1.26 करोड़ कुल 11.93 कि.मी. लागत ₹ 1.89 करोड़
2. सम्पर्क सड़क भदवाल से कैलाश नगर, सांचौर बखासर सड़क किमी 20 से गोदारो की ढाणी तथा बावड़ी से केलवा

2012 मे अपूर्ण रहे ***(परिशिष्ट 3.1)***। इस प्रकार, लक्षित निवासियों को सड़क से जोड़े जाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ।

राज्य सरकार ने निम्नानुसार बताया (नवम्बर 2012)

(i) भदवाल से कैलाश नगर एवं सांचौर बखासर सड़क 20 कि.मी. से गोदारों की ढाणी का निर्मित भाग जनता द्वारा उपयोग में लिया जा रहा था तथा शेष भाग भू-अधिग्रहण के बाद निर्मित होगा।

(ii) ट्रांजेक्ट वाक के समय ग्रामीण, भूमि हस्तांतरण के लिए सहमत थे लेकिन बाद मे इन्कार कर काम बाधित किया। बीजापुर से कोरवाफांटा सड़क के सम्बन्ध मे वन विभाग की अनुमति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था (नवम्बर 2009), बावड़ी से केलवा के सम्बन्ध मे, सड़क का भाग कि.मी. 2/345 से 3/225 (880 मीटर) खसरा सं. 244 एवं 245 से गुजर रहा था और सड़क के निर्माण कार्य के लिए भूमि के खातेदारो ने आपत्ती की। हालांकि, भूमि राज्य सरकार की थी, राजस्व प्राधिकारियों ने इसे निजी व्यक्तियों के पक्ष मे नियम विरूद्ध हस्तांतरित कर दिया था (जनवरी 1983)। भूमि को मई 2012 मे राज्य सरकार को पुनः स्थानांतरित कर दिया गया। उत्तर स्वीकार्य नही था क्योकि इन चार सड़को मे जो समस्या का सामना करना पड़ा उसे टाला जा सकता था, यदि विभाग द्वारा ये कार्य प्रारम्भ करने से पहले राजस्व अभिलेखों के आधार पर भूमि के स्वामित्व को सत्यापित कर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाती।

रेलवे की जमीन के मध्य से सड़क कार्य कराने के कारण अधूरे रहने से किया गया व्यय ₹ 1.38 करोड़ निष्फल रहना।

- अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बाड़ी से बिजोली के बीच शामिल बसावटों[3] को जोड़ने के लिए सड़क निर्माण/उन्नयन (8.60 कि.मी. लम्बी) के लिये ₹ 1.49 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की (जुलाई 2007)। सड़क कार्य एक संवेदक को ₹ 1.62 करोड़ मे आवंटित किया गया (नवम्बर 2007) और अधिशाषी अभियंता (अ.अ.), सा.नि.वि. खण्ड बाड़ी द्वारा कार्यादेश जारी किया गया (दिसम्बर 2007)। हालांकि, जो सड़क कार्य 20 मई 2008 को पूर्ण किया जाना निश्चित किया गया था वह अगस्त 2008 तक ₹ 1.38 करोड़ (85 प्रतिशत) तक व्यय करने के बाद भी अपूर्ण रहा। यद्यपि, तकनीकी रिपोर्ट (परियोजना रिपोर्ट) मे उल्लेख किया गया कि काम के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध थी।

मुख्य अभियंता प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर के अभिलेखो की संवीक्षा (अक्टूबर 2011-दिसम्बर 2011) मे विदित हुआ कि सडक कार्य किमी 0/0 से 0/600 के अलावा ₹ 1.38 करोड़ की लागत पर पूर्ण हुआ (मार्च 2009)। रेलवे प्राधिकारियों द्वारा इस भाग मे कार्य करना अनुमत्त नहीं किया गया। इससे पता चलता है कि तकनीकी प्रतिवेदन मे भूमि की सुनिश्चितता बताना तथ्यात्मक रूप से सही नही था। इस प्रकार ₹ 1.38 करोड़ का खर्च करने के बाद कार्य, जो विचारित था, पूरा नही किया जा सका।

3. बाड़ी, धानोरा, सुरोठी व बिजोली

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुऐ कहा (सितम्बर 2012) कि सड़क कार्य के निर्माण के प्रस्ताव पंचायत समिति, बाड़ी और जिला परिषद, धौलपुर के अनुमोदन मिलने के बाद स्वीकृत किये गये थे और सड़क का पूर्ण किया गया भाग स्थानीय जनता द्वारा उपयोग किया जा रहा है। उत्तर इस बारे मे चुप था कि परियोजना प्रतिवेदन तैयार करते समय रेलवे से सम्बन्धित भूमि का अधिग्रहण क्यो नहीं किया गया था।

भारत सरकार की अनुमति के बिना वन भूमि के मध्य से सड़क का संरेखण प्रस्तावित करना फलतः तीन सड़को का पूर्ण नही होना (₹ 2.53 करोड़) इसके अतिरिक्त, निधियों का अन्य उद्देश्य के लिए विपथन।

- गॉवों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार के लिए 'सर्व मौसम सम्पर्क सड़क' उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अगस्त 2005 तथा अप्रेल 2006 मे करौली जिले की पांच सम्पर्क सड़कों, एम.डी.आर.-3 से राहिर (20.80 कि.मी) ₹ 3.60 करोड़, सम्पर्क सड़क पांचनाफांटा से थारकपुरा (3.95 कि.मी) ₹ 0.68 करोड़, सम्पर्क सड़क बाऊवा से नयावास (3.10 कि.मी) ₹ 0.54 करोड़, एस.एच- 25 से बारेड़ (1.30 कि.मी) ₹ 0.39 करोड़ एवं एम.डी.आर.-3 सिगारपुर से गढमंडोरा (3.50 कि.मी) ₹ 0.60 करोड़ के निर्माण के लिऐ ₹ 5.81 करोड़ प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत किये। सड़क कार्य चार विभिन्न संवेदकों को अगस्त 2006 से मई 2007 तक पूर्ण करने हेतु नवम्बर 2005 से अगस्त 2006 के दौरान आवंटित किये गये।

अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत करौली के अभिलेखों की नमूना जांच (नवम्बर-दिसम्बर 2011) मे पता चला कि पांच सम्पर्क सड़को में से दो सम्पर्क सड़कों, एम.डी.आर- 3 सिगारपुर से गढमंडोरा (₹ 0.44 करोड़) तथा एस. एच- 25 से बारेड़ (₹ 0.30 करोड़) अगस्त 2006 से जुलाई 2007 के दौरान ₹ 0.74 करोड़ की लागत से पूर्ण की गयी। शेष तीन सम्पर्क सड़कों एम.डी. आर-3 से राहिर[4] (₹ 1.76 करोड़) सम्पर्क सड़क पांचनाफांटा से थारकपुरा (₹ 0.30 करोड़) एवं सम्पर्क सड़क बाऊवा से नयावास (₹ 0.47 करोड़), ₹ 2.53 करोड़ का व्यय होने के बाद भी मार्च 2012 तक अपूर्ण रही। लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि सम्पर्क सड़क के संरेखण के तथ्य एक सड़क (एम.डी.आर-3 सिगाारपुर से गढमंडोरा) को छोडकर, जो वन क्षेत्र मे पड़ रही थी, विभाग की जानकारी मे कार्य प्रारम्भ होने के बाद ही आया। यह दर्शाता है कि सड़क संरेखण के लिए समुचित सर्वेक्षण नहीं किया गया था और अधीक्षण अभियंता/ अतिरिक्त मुख्य अभियंता/मुख्य अभियंता, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना/राज्य तकनीकी एजेन्सी/राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा सड़क निर्माण कार्य के लिए विवाद रहित भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना प्रस्ताव बनाये एवं अनुमोदित किये गये, परिणामस्वरूप सड़क कार्य विलम्बित हुऐ।

4. ये सड़क पहले से ही लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 2007-08 में अनुच्छेद 4.2.4 (₹ 1.57 करोड़ दिसम्बर 2007 को) के रूप में टिप्पणी की जा चुकी थी जो नवम्बर 2011 तक अपूर्ण थी

सभी पांच सड़को के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से 23.914 है. वन भूमि के लिए अनारक्षण की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने (फरवरी 2007 से सितम्बर 2008) पर अधीक्षण अभियंता करौली द्वारा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना निधियों से सभी पांच सड़को[5] बाबत वन विभाग को शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन पी वी) राशि ₹ 3.18 करोड़ का भुगतान प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर मार्च 2007 से मार्च 2010 के दौरान किया। हालांकि, राशि ₹ 2.42 करोड़ मात्र प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना खाते में वापस किये गये (मार्च 2012)।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया (नवम्बर 2012) कि वन क्षेत्र में सम्पर्क सड़क के संरेखण के वन क्षेत्र मे होने का तथ्य सड़क कार्यो को आबंटित करने से पहले से ही विभाग की जानकारी में था और तीन सड़के यथा सम्पर्क सड़क राहिर, थारकपुरा तथा नयावास, भारत सरकार से अन्तिम मंजूरी प्राप्त नही होने के कारण अपूर्ण थी। आगे यह भी बताया कि वन विभाग को भुगतान करने के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना निधियों से खर्च राशि सम्पर्क सड़क थारकपुरा एवं नयावास के सम्बन्ध में राज्य योजना के अन्तर्गत ''जमा पत्र'' की प्रत्याशा में समायोजन हेतु लम्बित थी। उत्तर स्वीकार्य नही था, क्योकि सम्पर्क सड़क बारेड तथा गढमंडोरा पूर्ण थी तथा शेष तीन सड़के भारत सरकार की अन्तिम स्वीकृति तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के पक्ष में भूमि के परिवर्तन किये जाने की प्रत्याशा में अपूर्ण रही। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना निधियों से वन विभाग को किये गये अनाधिकृत भुगतान के सम्बन्ध में, राज्य सरकार द्वारा थारकपुरा तथा नयावास सड़क के लिए अपेक्षित स्वीकृति नही दी गयी है। यदि स्थल पर सर्वेक्षण ठीक किया गया होता तो भूमि का विवाद उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार, भारत सरकार की स्वीकृति के बिना वन भूमि से सड़क के संरेखण को प्रस्तावित करने के कारण तीन सड़के पूर्ण नही हुई (₹ 2.53 करोड़)।

वन विभाग से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना वन भूमि पर कार्य प्रारंभ किये जाने के कारण ₹ 1.13 करोड़ व्यय करने के बाद भी सड़क कार्य अपूर्ण रहना।

- प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आशा का बास से नाथूसर (9 कि.मी. लम्बी) नई सड़क के कार्य हेतु राज्य सरकार ने ₹ 2.43 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी (अप्रेल 2006)। अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग संभाग द्वितीय, जयपुर द्वारा ₹ 2.41 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति दी गयी (मई 2006)। कार्य एक संवेदक को पांच वर्ष के लिये रखरखाव (₹ 0.15 करोड़) शामिल करते हुए 'जी' अनुसूची से 1.25 प्रतिशत ऊपर पर कुल ₹ 2.49 करोड़ पर दिया गया (जून 2006)। कार्य 10 अप्रेल 2007 तक पूर्ण किया जाना था। संवेदक ने सड़क कार्य निष्पादित किया एवं उसे अप्रेल 2008 तक ₹ 1.12 करोड़ का भुगतान किया गया।

5. सम्पर्क सड़क राहिर, ₹ 1.90 करोड़, सम्पर्क सड़क थारकपुरा: ₹ 0.64 करोड़, सम्पर्क सड़क नयावास ₹ 0.12 करोड़, सम्पर्क सड़क गढमंडोरा : ₹ 0.27 करोड़ तथा सम्पर्क सड़क बारेडा: ₹ 0.25 करोड़

अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त अलवर के अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला (जुलाई 2011) कि अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड प्रथम, अलवर द्वारा तैयार की गयी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार सड़क संरेक्षण राजस्व रास्ते पर था तथा सड़क निर्माण के लिये पर्याप्त भूमि उपलब्ध थी। हालांकि, 4.010 कि.मी.[6] में संरेक्षण वन क्षेत्र के मध्य से गुजर रहा था और विभाग द्वारा वन भूमि को गैर-वानिकी कार्यों में लेने के प्रस्ताव ₹ 1.13 करोड़ व्यय करने के बाद अगस्त 2006 में ही वन विभाग को प्रस्तुत किये गये जिससे लक्षित गांवों को सभी मौसम में संपर्क प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। वन विभाग ने प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया (जनवरी 2009)। जैसा कि सड़क का निर्माण जुलाई 2006 में भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त किये बिना शुरु किया गया था, वन संरक्षक, क्षेत्रीय निदेशक, बाघ परियोजना, सरिस्का द्वारा काम बंद करने हेतु विभाग को निर्देशित किया गया (अक्टूबर 2006 एवम् अक्टूबर 2009)। हालांकि, कार्य लगातार जारी रखा गया था एवं संवेदक को ₹ 1.13 करोड़ का भुगतान किया गया (अगस्त 2011)। नवम्बर 2011 में, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग संभाग द्वितीय जयपुर ने अनुबंध के दायरे से शेष रहे कार्य को वापस ले लिया।

राज्य सरकार ने कहा (सितम्बर 2012) कि राजस्व रास्ते पर पंचायत समिति तथा जिला परिषद के अनुमोदन के बाद ही सड़क के प्रस्ताव तैयार किये गये थे और निर्मित भाग ग्रामीणों द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिशाषी अभियंता ने वन से गुजर रही सड़क के निर्माण के लिये विवाद रहित भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित नहीं किया था।

इस प्रकार, अपेक्षित अनुमोदन के बिना वन भूमि के मध्य से सड़क का कार्य करने के कारण सड़क अपूर्ण रही तथा लक्षित ग्रामीणों को सर्व मौसम संपर्क उपलब्ध कराने का उद्देश्य ₹ 1.13 करोड़ व्यय करने के बाद भी प्राप्त नहीं किया जा सका।

अनुचित सर्वेक्षण के परिणाम स्वरुप अनुपयुक्त मृदा प्रकृति पर वेन्टेड कॉजवे एवं वन क्षेत्र से गुजर रही सड़क का कार्य प्रारम्भ करने से अलाभकारी व्यय ₹ 2.19 करोड़।

⊙ व्यापार, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने के लिये दो गांवों को सर्व मौसम डामरीकृत सड़क से जोड़ने के लिये प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिला सवाईमाधोपुर में डूंगरी से खिदरपुर जादौन (4.30 कि.मी.) सड़क निर्माण हेतु ₹ 1.75 करोड़ की स्वीकृति अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रदान की गयी (अगस्त 2005)। अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सवाईमाधोपुर द्वारा बनाये गये कार्य के तकनीकी अनुमानों में बनास नदी पर वेंटेड कॉजवे[7] (625 मीटर)[8] का निर्माण शामिल था।

6. किमी 0/600 से 0/720, किमी 1/300 से 1/900, किमी 2/800 से 5/474, किमी 6/520 से 6/850, किमी 7/308 से 7/484 व किमी 8/035 से 8/145
7. वेन्टेड् कॉजवे क्रास ड्रेनेज संरचना है जिसकी शुरुआत पाइपों, छोटे स्पान स्लेबो या छोटे आरचीज से होती है जिससे मानसून एवं बाढ़ के समय क्रासिंग सुलभ बनाई जाती है।
8. किमी 2/675 से 3/300

कार्य एक ठेकेदार को ₹ 1.37 करोड़ पर 19 जुलाई 2006 तक पूर्ण करने के लिये दिया गया (सितम्बर 2005)। जुलाई 2006 तक संवेदक को 3.075 किमी[9] में सीमेंट कंक्रीट/डामरीकृत (सीसी/बीटी) कार्य तथा एक किमी (3/300 से 4/300) में वाटर बाउन्ड मेकाडम कार्य के निष्पादन के लिये ₹ 0.86 करोड़ का भुगतान किया गया। संवेदक से ₹ 0.51 करोड़ का शेष कार्य वापस ले लिया गया (जनवरी 2010)।

अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सवाई माधोपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच में प्रकट हुआ (मार्च-अप्रैल 2011) कि नीव में मृदा की उपयुक्त प्रकृति उपलब्ध नहीं होने के कारण संवेदक, वेंटेड कॉजवे (625 मी.) का कार्य निष्पादित नहीं कर सका। इसके अलावा, डामरीकरण कार्य 3/300 से 4/300 में भी निष्पादित नहीं किया गया क्योंकि वेंटेड कॉजवे निर्मित नहीं होने से नदी के पार डामर एवं सामग्री का परिवहन संभव नहीं था। इस प्रकार, अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड, सवाई माधोपुर ने स्थान का समुचित सर्वेक्षण कराये बिना कार्य प्रस्तावित किया जिससे कार्य के अपूर्ण स्तर पर वापसी तथा सड़क के अपूर्ण रहने से लक्षित ग्रामीण सर्व मौसमी संपर्क सुविधा से वंचित रहे एवं ₹ 0.86 करोड़ का व्यय भी अलाभकारी सिद्ध हुआ।

सवाई माधोपुर जिले में कस्बा खण्डार से भूरी पहाड़ी तक 15.38 कि.मी.[10] उन्नयन कार्य हेतु अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, सवाई माधोपुर के प्रस्तावों के आधार पर ₹ 7.61 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की (फरवरी 2009)। इसमें डूंगरी से खिदरपुर जादौन सड़क का शेष कार्य (वेंटेड कॉजवे तथा एक कि.मी. में डामरीकरण कार्य) शामिल था। मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा एक संवेदक को जून 2010 तक कार्य पूरा करने की शर्त के साथ कार्य ₹ 6.54 करोड़ में दिया गया (जुलाई 2009)। कार्य के निष्पादन के दौरान उपवन संरक्षक तथा उप निदेशक, कोर क्षेत्र, रणथम्भोर बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर ने अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सवाई माधोपुर को काम बंद करने हेतु निर्देशित किया क्योकि 7.700 कि.मी.[11] में सड़क का संरेखण रणथम्भोर बाघ संरक्षण क्षेत्र में पड़ रहा था। तद्नुसार, संवेदक ने काम बंद कर दिया तथा मुख्य अभियंता ने अनुबंध समाप्त करने का अनुमोदन किया (नवंबर 2010)। संवेदक को उसके द्वारा कि.मी. 26/10 से 30/05 की पहुंच में किये गये कार्य के लिये ₹ 1.33 करोड़ का भुगतान किया गया था (सितम्बर 2011)।

राज्य सरकार का उत्तर (सितम्बर 2012) कि निधियों की अनुपलब्धता के कारण क्रास ड्रेनेज कार्य 625 मीटर के स्थान पर 300 मीटर में प्रस्तावित किया गया था, स्वीकार्य नहीं था क्योंकि तकनीकी अनुमानों में, 625 मीटर में क्रास ड्रेनेज कार्य

9. सीसी: 0/0 से 1/0 किमी व 4/300 से 4/700 किमी, बीटी: 1/0 से 2/675 किमी
10. चेनेज 9/0 से 12/625, 15/600 से 23/300 व 26/0 से 30/050
11. सांवटा से तलवाड़ा गांव के मध्य किमी 15/600 से 23/300

प्रस्तावित था एवं तद्नुसार ही निधियां स्वीकृत की गयी थी। कस्बा खंडार से भूरी पहाड़ी के संबंध में बताया गया कि विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के समय पर्याप्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी थी लेकिन वन विभाग के कार्य बंद कर देने के बाद कार्य को अपूर्ण स्तर पर अंतिम रूप दे दिया गया था। उत्तर से पुष्टि हुई कि सड़क का कार्य देने से पहले समुचित सर्वेक्षण नहीं कराया गया एवं भूमि का स्पष्ट स्वामित्व सुनिश्चित नहीं किया गया। वन विभाग से अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने के लिये कार्यवाही देरी से (25 जनवरी 2010) शुरु की गयी थी तथा अनुमति अभी तक प्रतीक्षित थी। इसके अलावा, डूंगरी से खिदरपुर सड़क कार्य के संबंध में व्यय नहीं की गई राशि ₹ 0.89 करोड़ को भी समर्पित नहीं किया गया था (फरवरी 2009 से सितम्बर 2012 तक)।

इस प्रकार, अनुचित सर्वेक्षण, वेंटेड कॉजवे का कार्य अनुपयुक्त मृदाप्रकृति पर तथा सड़क कार्य वन क्षेत्र में होते हुए प्रारंभ करने के कारण ₹ 2.19 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा। जिससे सड़क अधूरी रहीं, लक्षित गांव सर्व मौसम संपर्क सुविधा से वंचित रहे। इसके अतिरिक्त, ₹ 7.17 करोड़[12], राजस्थान ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी के पास अक्टूबर 2011 से अनुपयोगी पड़े थे।

3.3 शासन की विफलता/दृष्टिचूक

सार्वजनिक निर्माण विभाग

3.3.1 आवास निर्माण पर अलाभकारी व्यय

निविदा देने के बाद कार्य के निर्माण की गैर-न्यायोचित लागत के परिणामस्वरूप नियोजित 48 के विरूद्ध केवल 26 आवासीय क्वार्टर्स का ही निर्माण हुआ। इन 26 आवासो में दो वर्षों से बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान नही किये जाने से ₹ 2.15 करोड़ का निवेश अनुत्पादक रहा।

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 298 एवं 351 निर्धारित करते हैं कि भूमि का अधिग्रहण समय से पूर्व कर लेना चाहिए तथा ऐसी भूमि पर निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए जिसे किसी उत्तरदायी सिविल अधिकारी द्वारा सम्यक रुप से सौपा नहीं गया हो।

12. डूगंरी से खिदरपुर जादौन; ₹ 1.75 करोड़ (-) ₹ 0.86 करोड़ = ₹ 0.89 करोड़ व कस्बा खंडार से भूरी पहाड़ी: ₹ 7.61 करोड़ (-) ₹ 1.33 करोड़ = ₹ 6.28 करोड़।

राज्य सरकार द्वारा करौली में 48 आवासों[13] के निर्माण हेतु राशि ₹ 2.84 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की (सितम्बर 2005)। अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, संभाग, भरतपुर द्वारा राशि ₹ 2.84 करोड़[14] की तकनीकी स्वीकृति जारी की गयी (जनवरी 2006)। कार्यादेश एक संवेदक को 24 जनवरी 2007 को पूर्ण करने की शर्त के साथ 'जी' अनुसूची (₹ 2.27 करोड़) से 9.70 प्रतिशत ऊपर पर कुल ₹ 2.50 करोड़ पर जारी किया गया (फरवरी 2006)।

अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, करौली के अभिलेखों की नमूना जाँच (जनवरी 2012) में प्रकट हुआ कि उप वन संरक्षक, करौली द्वारा आपत्ति उठाने (मार्च 2006) के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका क्योंकि जिला कलेक्टर, करौली द्वारा आवंटित (सितम्बर 2005) की गयी भूमि वन विभाग की थी। इस कारण से कार्य प्रत्याहरित कर लिया गया (नवम्बर 2007)। इसी बीच जिला कलेक्टर, करौली द्वारा जी ए डी आवासों के निर्माण के लिये एक नया स्थान आवंटित किया गया (अगस्त 2007)। मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर द्वारा कार्य की पुनः निविदा आमंत्रित की गई तथा कार्य 'जी' अनुसूची से 32.30 प्रतिशत ऊपर (पूर्व की तुलना में 22.60 प्रतिशत ऊपर) कुल ₹ 3.01 करोड़ पर दूसरे संवेदक को इस शर्त के अधीन जारी किया गया (फरवरी 2008) कि व्यय ₹ 2.27 करोड़ पर प्रतिबंधित होना चाहिए। कार्य फरवरी 2009 तक पूर्ण किया जाना था।

हालांकि, कार्य ₹ 2.15 करोड़[15] की लागत में पूर्ण कर दिया गया था (मार्च 2010) लेकिन लागत में वृद्धि तथा व्यय को ₹ 2.27 करोड़ पर सीमित रखे जाने से स्वीकृत 48 के विरुद्ध केवल 26 आवासों को ही पूर्ण किया गया। ये 26 आवास भी संपर्क सड़क, चारदीवारी और मूलभूत सुविधाओं जैसे पानी की आपूर्ति आदि का प्रावधान नहीं होने के कारण खाली थे (मई 2012)। अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, करौली ने शेष 22 आवासों के निर्माण एवं मूलभूत सुविधाओं के लिये ₹ 5.05 करोड की अतिरिक्त आवश्यकता सहित ₹ 7.89 करोड़ की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को प्रस्ताव पेश किऐ (दिसम्बर 2011)। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मई 2012 तक प्रतीक्षित थी। अधिशाषी अभियंता की यह कार्यवाही कार्य के लिए संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 286 (2)[16] के प्रावधान

13. टाइप-I: 2; टाइप-II: 8; टाइप-III; 8, टाइप-IV: 18; एवम् टाइप-V: 12; इनमें चारदीवारी, सम्पर्क सड़क, आन्तरिक सड़कें एवम् विकास कार्य आदि के प्रावधान शामिल थे।
14. 48 क्वार्टस; ₹ 2.11 करोड़; चारदीवारी: ₹ 0.08 करोड़; विद्युत कार्य; ₹ 0.17 करोड़, सम्पर्क सड़क; ₹ 0.09 करोड़, जल आपूर्ति; ₹ 0.02 करोड़; आकस्मिकता; ₹ 0.02 करोड़; गुण नियंत्रण; ₹ 0.02 करोड़ एवम् प्रोरेटा प्रभार; ₹ 0.33 करोड़।
15. आवासों का निर्माण ₹ 1.83 करोड़; आकस्मिकता एवम् प्रोरेटा प्रभार आदि; ₹ 0.32 करोड़
16. यदि कार्य पर व्यय की राशि बढ़ती है अथवा बढ़ने की संभावना है एवम् राशि प्रशासनिक स्वीकृति से 10 प्रतिशत अधिक है, तो संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक है ।

के अनुरुप भी नहीं थी। ये विभाग के स्तर पर वित्तीय शासन की विफलता को दर्शाता है।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुऐ कहा (सितम्बर 2012) कि उच्च निविदा प्रीमियम पर कार्य, सामग्री की लागत में वृद्धि के कारण दिया गया था तथा पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिये जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को राशि ₹ 1.10 करोड़ मार्च 2012 में जमा कराई गयी है। उत्तर को तथ्यों की रोशनी में देखा जाना चाहिए कि निविदा देने के पश्चात् कार्य की लागत में गैर-न्यायोचित कटौती से आवासों की संख्या 48 से 26 हो गई तथा 26 आवासों हेतु भी मूलभूत सुविधायें प्रदान करने के लिये निधियों का प्रावधान नहीं करने के कारण इन आवासों के भी दो वर्षो से अप्रयुक्त रहने से निवेशित ₹ 2.15 करोड़ अनुत्पादक रहे।

इस प्रकार, कार्य देने से पहले वन भूमि का स्पष्ट स्वामित्व सुनिश्चित नहीं करने, उपयुक्त वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था में और संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में असामान्य देरी से 48 के विरुद्ध केवल 26 आवासों को पूर्ण किया गया। बुनियादी सुविधायें प्रदान नहीं करने के कारण, पूर्ण किये गये आवास अप्रयुक्त रहे तथा निहित व्यय ₹ 2.15 करोड़ अलाभकारी रहा। उपलब्ध कराये गये अभिलेखों से इंगित नहीं हुआ कि आवासों की देखरेख तथा रखरखाव का प्रावधान किया गया था। ऐसे में कार्य में ह्रास की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

सामान्य

3.3.2 लेखापरीक्षा आक्षेपों का उत्तर देने का अभाव

लेखापरीक्षा, दक्षता, प्रभावकारिता एवं सुशासन के लिए प्रबंधन की सहायक है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उचित सुधारात्मक कार्यवाही करने में सरकार की विफलता, कमजोर शासन को इंगित करती है।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 327 (1) के अनुसार विभिन्न लेखा अभिलेखों की प्रतिधारण अवधि अंकेक्षण के बाद एक से तीन वर्षों के मध्य है। विभागीय अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदनों के आक्षेपों की अनुपालना, अभिलेखों की निर्धारित प्रतिधारण अवधि में करने में असफल रहने से भविष्य में उनके निपटारे की संभावना अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण क्षीण हो जाती है। 31 मार्च 2012 को सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग के 1992-93 से 2011-12 (सितम्बर 2011 तक जारी नि.प्र.) की अवधि के दौरान जारी 1,288

निरीक्षण प्रतिवेदनों मे सम्मिलित 5,545 अनुच्छेद निपटारे हेतु निम्नानुसार बकाया थे:

वर्ष	बकाया की संख्या	
	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद
2005-06 तक	441	1,326
2006-07	165	593
2007-08	149	519
2008-09	147	695
2009-10	173	927
2010-11	145	961
2011-12 सितम्बर 2011 तक	68	524
योग	**1,288**	**5,545**

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों के शीघ्र निपटारे के लिए राज्य सरकार ने सभी विभागीय अधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना एक माह में तथा लेखापरीक्षा के आगे के आक्षेपों के उत्तर एक पखवाडे में भेजने के अनुदेश जारी किये थे (अगस्त 1969)। इन अनुदेशों की समय-समय पर पुनरावृति की गई। मार्च 2002 में जारी किये गये अनुदेशों में लेखापरीक्षा से संबंधित समस्त मामलों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रशासनिक विभाग में विभागीय लेखापरीक्षा समिति एवं नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करना अभिप्रेत था। नवीनतम अनुदेश जनवरी 2010 में जारी किये गये थे।

जल संसाधन विभाग के बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण मे प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2012 को 490 निरीक्षण प्रतिवेदन एवं इससे संबंधित 1,843 अनुच्छेद बकाया थे। इनमें से 53 निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं उनमें शामिल 56 अनुच्छेदों का निपटान 10 वर्षो से अधिक समय में भी नहीं किया गया।

निरीक्षण प्रतिवेदनों में टिप्पणी की गयी अनियमितताऐं, जो कि 31 मार्च 2012 तक लम्बित थी, का श्रेणीवार विवरण

क्रम संख्या	अनियमितता की श्रेणी	अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ लाखों में)
1.	कपट/दुर्विनियोजन/गबन/हानियां	38	1,459.04
2.	लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाई गई वसूलियां एवं अधिक भुगतान	153	4,181.91
3.	संविदात्मक बाध्यताओं का उल्लंघन एवं संवेदकों को अनुचित सहायता	377	23,058.15
4.	परिहार्य/अधिक व्यय	186	21,051.44
5.	निरर्थक/निष्फल व्यय	133	11,759.20
6.	विनियामक प्रकरण	367	58,829.77
7.	निष्क्रिय निवेश/संस्थापना/निधियों का अवरोधन	118	18,324.67
8.	उपकरणों की संस्थापना में विलम्ब	23	2,184.10
9.	उद्देश्यो की प्राप्ति नही होना	45	8,179.05
10.	विविध	403	49,374.86
	योग	**1,843**	**1,98,402.19**

बकाया लेखापरीक्षा प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही हेतु विभाग के प्रमुख शासन सचिव/सचिव तथा वित्त विभाग एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए चार विभागों में लेखापरीक्षा समितियां गठित की गयी। वित्त विभाग ने प्रत्येक वर्ष में चार बैठकें आयोजित करने के अनुदेश जारी किये (नवम्बर 2004), किन्तु वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना नहीं की गई तथा वर्ष 2011-12 के दौरान चार विभागों द्वारा लेखापरीक्षा समिति की केवल तीन बैठकें ही आयोजित की गयी।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2013) कि उच्च प्राथमिकता के आधार पर बकाया लेखापरीक्षा आक्षेपों के निपटान हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

लेखापरीक्षा, दक्षता, प्रभावकारिता एवं सुशासन के लिए प्रबंधन की सहायक है। लेखापरीक्षा निष्कर्षो पर उचित सुधारात्मक कार्यवाही करने में सरकार की असफलता, कमजोर शासन को इंगित करती है। सरकार को मामले में ध्यान देकर सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखापरीक्षा आक्षेपों का शीघ्र एवं उचित उत्तर देने, चूककर्ता कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने एवं हानियों/बकाया अग्रिमों/अधिक भुगतान की वसूलियों को समयबद्ध तरीके से करने हेतु कार्यविधियां स्थापित कर दी गयी हैं।

(राजेन्द्र चौहान)
प्रधान महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

जयपुर
दिनांक 17 मार्च 2013

प्रतिहस्ताक्षरित

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 18 मार्च 2013

परिशिष्ट

परिशिष्ट 2.1(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.1.2: पृष्ठ 8)(संगठनात्मक ढांचा दिनांक 01.01.2012 को)

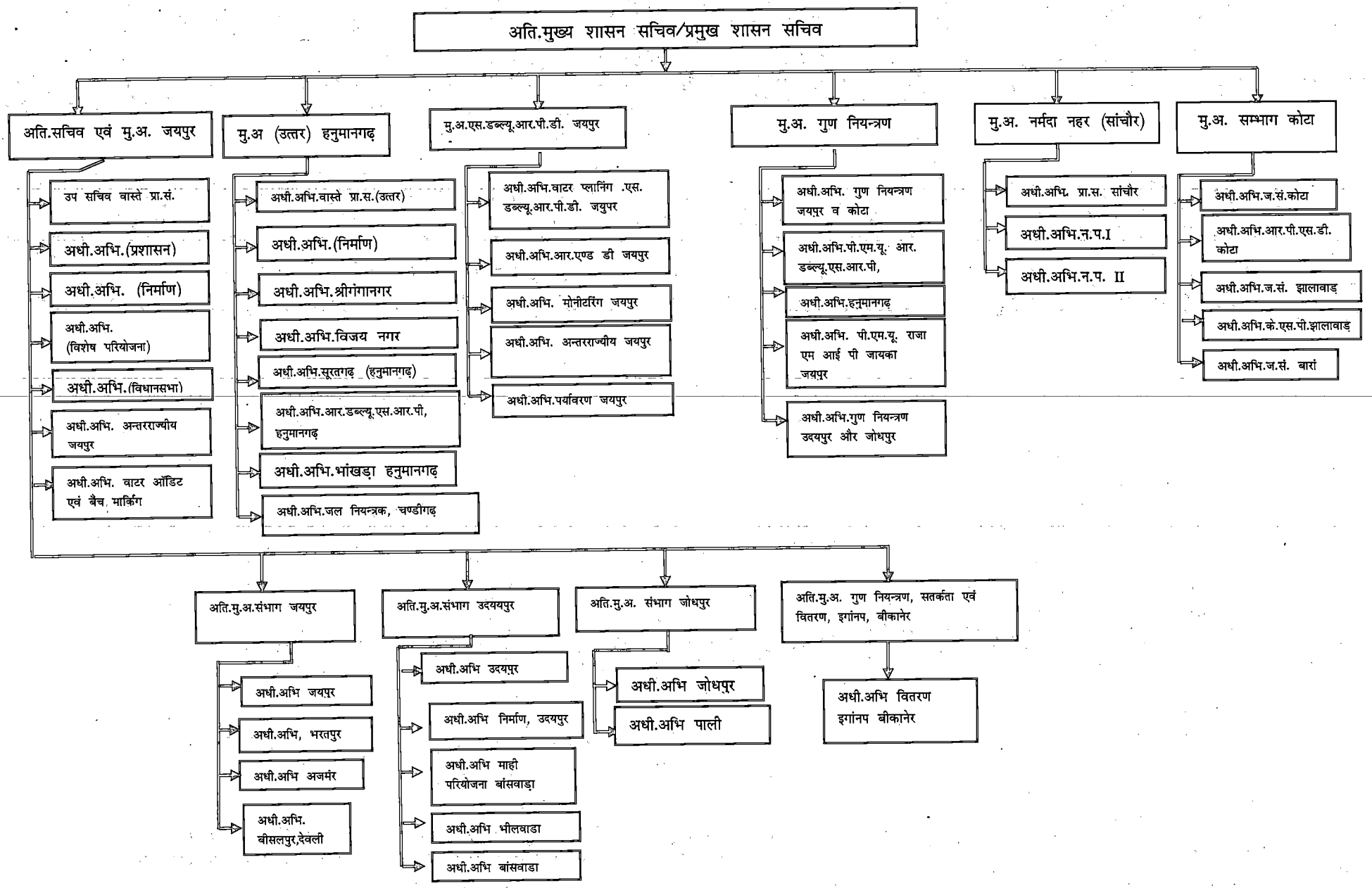

परिशिष्ट 2.2

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.1.6.1: पृष्ठ 12)

वन विभाग से भूमि की स्वीकृति/अधिग्रहण के अभाव में लसिंप/फीडर अपूर्ण रहने का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	खण्ड का नाम	लसिंप का नाम	जारी मूल प्र.एवं वि. स्वीकृति	संशोधित प्र. एवं वि. स्वीकृति	कार्यादेश जारी करने की दिनांक/वर्ष	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि वर्ष	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	उपगत व्यय	भूमि के अधिग्रहण/निकासी के अभाव में लागत अभिवृद्धि	31 मार्च 2012 को लसिंप की स्थिति
1.	अ.अ.बी.एण्ड आर.सी. खण्ड माही परियोजना बांसवाड़ा	भीखाभाई सागवाड़ा नहर 8 से 20.11 किमी	27 दिसम्बर 2004 ₹ 26.16	–	2005-06	2006-07	अपूर्ण	₹ 27.37	₹ 1.21 (वास्तविक लागत अभिवृद्धि कार्य के पूर्ण होने के पश्चात तय की जावेगी)	कार्य प्रगतिरत
2.	अ.अ.जसं खण्ड कोटा	तकली सिंचाई एवं जल प्रदाय परियोजना	जुलाई 2006 ₹ 51.81	जुलाई 2011 ₹ 131.44	29 जून 2007 ₹ 25.25	8 जुलाई 2010	अपूर्ण	₹ 8.50 (मार्च 2012)	₹ 79.63	भूमि अवार्ड टुकड़ों में जारी करने के कारण कृषको द्वारा विरोध करने से कार्य अपूर्ण
3.	अ.अ.जसं खण्ड चित्तौड़गढ	सुदारी फीडर	13 दिसम्बर 2007 ₹ 0.55	–	17 मई 2008 ₹ 0.60	27 सितम्बर 2008	अपूर्ण	₹ 0.38 (अगस्त 2010)	–	भूमि विवाद के कारण अपूर्ण रहा
योग									80.84	

परिशिष्ट 2.3

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.1.6.2: पृष्ठ 13)

वर्षवार वर्षा, ल.सि.प. में पानी की सम्भावित तथा वास्तविक आवक को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र. सं.	परियोजना का नाम	निकटतम वर्षामापी स्टेशन	भण्डारण क्षमता (एम.सी. एफ.टी में)	कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	कुल उपगत व्यय (रू. लाखों में)	औसत पानी का रन ऑफ प्रति वर्ग मील (एम. सी.एफ. टी में)	क्षेत्र (वर्ग मील में)	डी.पी. आर.के अनुसार वर्षा का औसत (मि.मी)	लसिंप मे मापी गई वर्षा पानी की सम्भावित आवक तथा पानी की वास्तविक आवक का विवरण				
										वर्ष	वर्ष के दौरान औसत वर्षा (मि.मी)	लसिंप मे पानी की सम्भावित आवक(एम.सी. एफ.टी मे)	लसिंप मे पानी की वास्तविक आवक(एम. सी.एफ.टी मे)	पानी की कम/बिल्कुल आवक नही होने के कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	करोई लसिंप सीकर	उदयपुरवाटी	24.36	155.99 हैक्टेयर	30.6.2004	85.89	5.35	4.60	457.20	2008	484	21.165	–	जलग्रहण क्षेत्र मे कम तीव्रता की वर्षा के कारण
										2009	187	1.173	–	
										2010	750	24.36(अधि.)	–	
										2011	596	24.36(अधि.)	.	
										2012	511	24.36(अधि.)	.	
2.	फतेहपुरा लसिंप सीकर	कोटपुतली	51.96	265.99 हैक्टेयर	31.3.2006	111.74	4.601	10.30	556.81	2008	897	51.96	–	जलग्रहण क्षेत्र मे कम तीव्रता की वर्षा के कारण
										2009	318	17.365	-	
										2010	816	51.96 (अधि.)	-	
										2011	659	51.96 (अधि.)	-	
										2012	638	51.96 (अधि.)	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	सवाईपुरा लसिंप सीकर	दांता रामगढ़	13.23	136.90	30.06.2004	45.64	4.01	3.30	450	2008	380	9.852	.	जलग्रहण क्षेत्र मे कम तीव्रता की वर्षा के कारण
				हैक्टेयर						2009	298	5.196	-	
										2010	489	13.23 (अधि.)	-	
										2011	467	13.23 (अधि.)	-	
										2012	638	13.23 (अधि.)	-	
4.	भेरू सागर मेडिया लसिंप, भीलवाड़ा	जहाजपुर	22.72	93 हैक्टेयर	16.8.2007 (बांध) व 31.5.2008 (नहर)	67.90	14.364	2.45	711	2008	473	15.14	–	स्थल चयन गलत था तथा जलग्रहण क्षेत्र मे वर्षा की तीव्रता कम थी
										2009	324	5.32	.	
										2010	626	22.72 (अधि.)	6.00	
										2011	984	22.72 (अधि.)	7.00	
										2012	560	22.72 (अधि.)	.	
5.	पार्वती सागर, लसिंप भीलवाड़ा	जहाजपुर	18.54	72.87 हैक्टेयर	29.3.2009 (बांध) 31.12.2007 (नहर)	100.51	14.38	1.30	699	2009	324	18.54 (अधि.)	02	जलग्रहण क्षेत्र मे वर्षा की तीव्रता में कमी
										2010	626	18.54 (अधि.)	14	
										2011	984	18.54 (अधि.)	09	
										2012	560	18.54 (अधि.)	7.063	
6.	कैलाश नगर लसिंप सुमेरपुर (पाली)	ओरा बांध	67	374 हैक्टेयर	01.08.2003	177.97	8.842	6.37	558.80	2008	335	13.84	–	जल ग्रहण क्षेत्र मे कम तीव्रता की वर्षा के कारण
										2009	260	6.36	–	
										2010	610	67 (अधि.)	–	
										2011	625	67 (अधि.)	–	
										2012	614	67 (अधि.)	7.063	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.	करवाड़ा लसिंप,जालौर	भीनमाल	8.35	58 हैक्टेयर	02.06.2004	22.14	2.457	2	381	2008	383	4.914	1.63	अ.अ.ने कोई कारण सूचित नही किया
										2009	216	1.098	–	
										2010	733	8.35 (अधि.)	–	
										2011	756	8.35 (अधि.)	–	
										2012	395	3.18	–	
8.	आम्का लसिंप, अलवर	थानागाजी तहसील	50.46	326 हैक्टेयर	06.09.2004 (बांध)13. 07.2006 (नहर)	136.17	10.51	4.8	635	2008	1060	50.46(अधि.)	7.00	जल ग्रहण क्षेत्र मे कम तीव्रता की वर्षा के कारण
										2009	445	22.48	-	
										2010	824	50.46 (अधि.)	6.72	
										2011	770	50.46 (अधि.)	4.10	
										2012	731	50.46 (अधि.)	शून्य	
9.	निम्बाहेरी लसिंप अलवर	टपूकड़ा (तिजार)	43.88	458.10 हैक्टेयर	21.1.2003 (बाँध) 29.4.2006 (नहर)	136.93	8.154	5.5	609.60	2009	319	10.33	-	जल ग्रहण क्षेत्र में कम तीव्रता की वर्षा के कारण
										2010	495	29.17	-	
										2011	415	18.56	–	
										2012	490	25.30	5.40	
10.	कोट लसिंप पाली	बाली	101.11	527.29 हैक्टेयर	13.2.2009	220.48	4.916	21	584.20	2009	265	10.47	16.10	जल ग्रहण क्षेत्र में अनियमित वर्षा
										2010	796	101.11 (अधि.)	26.11	
										2011	843	101.11 (अधि.)	48.80	
										2012	653	101.11 (अधि.)	11.05	
11.	बारलूट लसिंप सिरोही	सिरोही	53.91	637.45 हैक्टेयर	10.07.2008	408.41	8.56	13.38	584.20	2009	278	15.55	-	अपर्याप्त वर्षा तथा एनीकटो के निर्माण से जल ग्रहण क्षेत्र में अवरोध
										2010	787.70	53.91 (अधि.)	11.41	
										2011	749	53.91 (अधि.)	28.94	
										2012	741	53.91 (अधि.)	8.36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.	साली की ढ़ाणी, पाली	पाली	54.68	112.40 हैक्टेयर	31.7.2002	49.84	3.27	48.10	457.20	2008	200	18.76	-	बाँध के जल ग्रहण क्षेत्र में छितरी वर्षा के कारण
										2009	166	7.50	-	
										2010	404	54.68 (अधि.)	-	
										2011	508	54.68 (अधि.)	-	
										2012	653	54.68 (अधि.)	12.358	
13.	सन्त्रु लसिंप, जालोर	रानीवाड़ा	18.50	71.34 हेक्टेयर	2.6.2004	19.78	4.601	4.50	482.60	2008	467.6	18.06	1.407	विभाग द्वारा कारणों का अन्वेषण नहीं किया गया
										2009	239	2.47	-	
										2010	1225	18.50 (अधि)	-	
										2011	820	18.50 (अधि)	-	
										2012	503	18.50 (अधि)	-	
14.	तलवाड़ा लसिंप, झालावाड़	मनोहर थाना	26.24	140.11 हेक्टेयर	15.5.2003 (बाँध) व 2.11.2005 (नहर)	65.49	26.24	1.200	838.20	2008	691.00	17.23	3.50	बाँध की दीवार में रिसाव तथा स्लूस गेट के द्वार से पानी का बाहर चले जाना
										2009	629.00	14.35	4.20	
										2010	514.00	8.36	3.82	
										2011	1461.00	24.73	3.00	
	9872012									2012	987	26.24 (अधि)	3.284	
15.	ताई का खेड़ा चवली नहर खण्ड झालावाड़	पचपहाड़	56.61	279.25 हेक्टेयर	4.12.2004 व 1.10.2003	157.78	21.18	2.12	810	2008	633.20	25.36	4.41	जल क्षेत्र में वर्षा की कम तीव्रता के कारण
										2009	554	18.74	-	
										2010	468	11.34	-	
										2011	1015	56.20	21.18	
										2012	842.02	48.109	14.126	
16.	फारसवाली ढ़ाणी, लसिंप सीकर	उदयपुरवाटी स्थल से 28 किमी	37.84	345.24 हेक्टेयर	25.3.2011	281.61	4.68	9.59	450	2010	750	37.84 (अधि)	8.76	जल क्षेत्र में वर्षा की कम तीव्रता के कारण
										2011	596	37.84 (अधि)	डेड स्टोरेज लेवल	
										2012	511	37.84 (अधि)	-	
कुल				4053.93 हेक्टेयर		2088.28 i.e. 20.88 करोड़								

1. 25.4 मिमी = 1 इंच 2. जल क्षेत्र के वर्गीकरण के अनुसार, स्ट्रेन्ज तालिका के अनुसार औसत जल रन ऑफ प्रति वर्ग मील एमसीएफटी में लिया गया है ।

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.7.5 ; पृष्ठ 23)

कार्य अपूर्ण रहने के कारण अनुबन्ध के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत संवेदकों से क्षतिपूर्ति की वसूली/आरोपण न करने के विवरण को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	संवेदक का नाम	प्र. एवं वि. स्वीकृति क्रमांक और दिनांक	कार्यादेश राशि	निर्धारित तिथि		पूर्ण कार्य की लागत	लगाने योग्य/लगाई गई क्षतिपूर्ति		वसूल की गई राशि	वसूली योग्य राशि
						प्रारम्भ	पूर्ण		क्लॉज 2 के तहत	क्लॉज 3 के तहत		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	अ.अ.,ज.सं.खण्ड उदयपुर	देवास-स्तर-।। परियोजना तहसील गिरवा(उदयपुर)के अन्तर्गत मुख्य बाँध और मुख्य टनल के मध्य लिंक टनल के साथ साथ मादड़ी बाँध का निर्माण	मै० जयमाता वर्क्स इन्जीनियर और कंन्सट्रक्शन	1544-48/ 19.11.2005 ₹ 139.26 करोड़ संशोधित 787/30.10.2007 ₹ 379.10 करोड़	10.61 करोड़	2.9.2006	01.03.2008	2.58	0.71	5.98	0.09	6.60
2.	अ.अ.,ज.सं.खण्ड चित्तौड़गढ़	पोटोलिया, उसरोल और राजपुरिया ल०सि०प० की नहर प्रणाली के हैड कार्य का रेस्टोरेशन और रिहैबीलीटेशन ।	मै०विजय कंन्सट्रक्शन कं०	553/20.7.2005 ₹ 612.29 करोड़	0.63 करोड़	06.1.2011	05.01.2013	0.08	0.06	0.37	0.02	0.41
3.	अ.अ.,ज.सं.खण्ड उदयपुर	देवास-स्तर-।। के अधीन अकोदरा बाँध का निर्माण कार्य	मै० श्री निवासा कंन्सट्रक्शन लिमिटेड (एस.सी. एल. इन्फ्राटेक लिमिटेड)	100/29.08.2005 ₹ 139.26 करोड़	33.62 करोड़	19.3.2007	18.3.2009	14.23	3.36	–	–	3.36

क्र.सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	संवेदक का नाम	प्र. एवं वि. स्वीकृति क्रमांक और दिनांक	कार्यादेश राशि	निर्धारित तिथि		पूर्ण कार्य की लागत	लगाने योग्य/लगाई गई क्षतिपूर्ति		वसूल की गई राशि	वसूली योग्य राशि
						प्रारम्भ	पूर्ण		क्लॉज 2 के तहत	क्लॉज 3 के तहत		
4.	अ.अ.,ज.सं.खण्ड दौसा	मायला कुंआ डिटेन्शन बाँध का निर्माण	मै० गुरुदीप सिंह चण्डी एण्ड कम्पनी	3161-67/15.7.2011 ₹ 4.61 करोड़	3.87 करोड़	18.12.2010	17.6.2011	2.78	0.11	–	–	0.11
5.	अ.अ.,न.न.प. खण्ड-I, सांचौर	बिजली से संचालित मोटरों के साथ एच.डी. पी.ई. पाइप के बीच डेस्टीनेशन की सप्लाई, बिछाना, जोड़ने, जाँचने और कमीशनिंग का कार्य	मै० जैन इरीगेशन सिस्टम लिमिटेड	1469/17.8.2010 ₹ 2481.49 करोड़	11.13 करोड़	23.12.2010	22.12.2011	3.49	1.11	–	–	1.11
6.	अ.अ.,ज.सं.खण्ड डूँगरपुर	लोडीसर टैंक की ऊँचाई को बडाना	मै० श्री निवासा कंन्सट्रक्शन लिमिटेड (एस.सी. एल. इन्फ्राटेक लिमिटेड)	₹ 8.70 करोड़ संशोधित ₹ 13.68 करोड़	2.95 करोड़	9.9.2008	8.7.2009	1.05	0.19	0.37	0.11	0.45
					योग							12.04

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.10.1; पृष्ठ 31)

2009-12 के दौरान वास्तविक व्यय के साथ ही साथ मूल/पूरक प्रावधान की सार स्थिति

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	वर्ष	मूल	*अंतिम अनुमान	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	बचत / आधिक्य का प्रतिशत
राजस्व	2009-10	872.49	870.93	862.96	(-) 9.53	1.03
2700	2010-11	907.78	956.83	948.50	(+) 40.72	4.48
	2011-12	989.34	1014.68	1009.02	(+) 19.68	1.99
2701	2009-10	283.84	268.67	266.34	(-) 17.50	6.17
	2010-11	291.77	280.73	272.44	(-) 19.33	6.63
	2011-12	315.59	295.42	291.02	(-) 24.57	7.73
2702	2009-10	69.34	63.05	67.24	(-) 2.10	3.03
	2010-11	77.98	71.64	68.84	(-) 9.14	11.72
	2011-12	136.94	82.70	86.99	(-) 49.45	36.11
योग		3945.07	3904.65	3873.35		
पूँजीगत	2009-10	710.66	619.72	619.12	(-) 91.54	12.88
4700	2010-11	624.08	491.45	489.04	(-) 135.04	21.64
	2011-12	585.24	459.52	462.71	(-) 122.53	20.94
4701	2009-10	55.03	61.79	58.66	(+) 3.63	6.60
	2010-11	51.94	133.59	121.72	(+) 69.78	13.43
	2011-12	59.40	55.57	36.98	(-) 22.72	38.06
4702	2009-10	185.99	98.04	88.48	(-) 97.51	52.43
	2010-11	205.28	113.72	89.09	(-) 116.19	56.60
	2011-12	104.85	84.51	79.05	(-) 25.80	24.61
4711	2009-10	2.15	1.82	1.77	(-) 0.38	17.67
	2010-11	2.15	1.93	1.93	(-) 0.22	10.23
	2011-12	1.73	1.82	1.52	(-) 0.21	12.14
योग		2588.80	2123.48	2050.07		

*पूरक अनुदान/पुनर्विनियोजन और सर्मपण को शामिल करते हुए।

स्त्रोत : पुनर्विनियोजन खाते

परिशिष्ट 2.6

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.1.10.3; पृष्ठ 32)

निक्षेप कार्यों पर अधिक व्यय की वसूली नहीं होने को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ लाखों में)

क.स.	खण्ड़ का नाम	लेन देन का माह व वर्ष	विवरण	राशि
1.	अअ जसं खण्ड़ कोटा	10/2002	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	61.56
		9/2004	एम पी एल ए डी	.26
2.	अअ जसं खण्ड़-II छबड़ा	-	सहरिया विकास योजना	4.45
		-	एम पी एल ए डी, अन्ता	1.47
		-	एम पी एल ए डी छीपाबड़ोद	0.55
		-	स्वर्ण जयन्ति ग्राम स्वरोजगार योजना	18.99
		-	माडायोजना,एनीकट, आमली तथा म्युनमटाड़	3.00
		-	परवन नहर लिफ्ट	0.1
3.	अअ जसं खण्ड मेड़तासिटी	1/12	बीडीओ, देगाना (नरेगा)	4.93
		10/11	बीडीओ, मेड़तासिटी (नरेगा)	4.88
		11/11	बीडीओ, परबतसर (नरेगा)	0.12
		7/11	बीडीओ, रियानबाड़ी (नरेगा)	0.29
		9/11	बीडीओ, कुचामनसिटी (नरेगा)	1.13
		6/10	आर एस एम एम एल, उदयपुर	0.76
		4/09	बीडीओ, कोलायत (नरेगा)	0.12
4.	अअ जसं खण्ड उदयपुर	-	जे आर वाई	22.38
		-	ई ए एस	7.60
5.	अअ जसं खण्ड जयपुर	-	फेमिन रिलीफ, एम पी एल ए डी माडा, एमएलए, जेडीए आदि	68.70
योग				**201.29 अर्थात् 2.01करोड़**

स्त्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

परिशिष्ट-2.7

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.1.10.5; पृष्ठ 33)

चैकों तथा चालानों के मिलान के अभाव को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ लाखों में)

क्र.स.	खण्ड का नाम	कोषालय से मिलान (तक)	चैक राशि का अन्तर	चालान राशि का अन्तर
1.	अअ जसं खण्ड-II हनुमानगढ़	1/2012	6.33	0.43
2.	अअ जसं खण्ड सूरतगढ़	1/2012	2.54	(-)0.009
3.	अअ जसं खण्ड रावतसर	2/2012	0.20	1.01
4.	अअ जसं खण्ड कोटा	1/2012	22.86	(-)9.53
5.	अअ जसं सीसीपी खण्ड झालावाड़	2/2012	(-)1.14	7.21
6.	अअ जसं खण्ड-II छबड़ा	9/2011	311.07	0.24
7.	अअ जसं खण्ड मेड़तासिटी	3/2012	(-)3.86	1.14
8.	अअ जसं ननप खण्ड-I सांचोर	2/2012	16.39	-
9.	अअ जसं सोक न प खण्ड डूंगरपुर	2/2012	14.30	2.47
10.	अअ जसं खण्ड चित्तोड़गढ़	1/2012	17.60	13.85
11.	अअ जसं खण्ड दौसा	1/2012	14.94	(-)1.11
12.	अअ जसं खण्ड करौली	2/2012	5.85	(-)0.36
13.	अअ जसं खण्ड डूंगरपुर	12/2011	64.53	5.56
14.	अअ जसं खण्ड जोधपुर	3/2012	42.55	8.93
15.	अअ जसं खण्ड जयपुर	6/2011	120.43	3.87
16.	अअ जसं खण्ड उदयपुर	1/2012	139.66	5.48
	योग		774.25 अर्थात् 7.74 करोड़	39.181 अर्थात् 0.39 करोड़

स्त्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

परिशिष्ट 2.8

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.1.10.6; पृष्ठ 34)

विविध लोक निर्माण अग्रिम तथा अग्रदाय के बकाया को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ लाखों में)

क.स.	खण्ड का नाम	अग्रदाय/अस्थायी अग्रिम	विविध लोक निर्माण अग्रिम
1	अअ जसं खण्ड रावतसर	-	12.64
2	अअ जसं खण्ड-II हनुमानगढ़	-	12.84
3	अअ जसं खण्ड सूरतगढ़	-	28.50
4	अअ जसं खण्ड डूंगरपुर	-	6.16
5	अअ जसं खण्ड सीकर	0.17	-
6	अअ जसं खण्ड-II छबड़ा	-	0.83
7	अअ जसं खण्ड दौसा	7.98	-
8	अअ जसं खण्ड करौली	(टी.ए.) 6.13	17.98
	योग	14.28	78.95
		अर्थात् 0.93 करोड़	

स्त्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

परिशिष्ट 2.9

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.10.7 ; पृष्ठ 34)

सरकारी कर्मचारियों से मासिक किराये की वसूली के अभाव को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र.सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम (सर्व श्री)	कार्यालय का नाम	अवधि	राशि (₹)
1	जयपाल सिंह, पोस्टमैन	उपडाकघर सूरतगड	1/1977से 6/2002	10733.00
2	श्यामसुन्दर, नि.स.	------- वही -------	1/2011 से 2/2012	2590.00
3	एम.एल.बिस्सा, पोस्टमैन	------- वही -------	9/1991 से 3/2005	18419.00
4	एम.सी. कपूर, पोस्टमैन	------- वही -------	8/1991 से 6/1997	8023.00
5	रामअवतार, मजदूर	एम.ई.एस.	1/1996 से 12/2002	10164.00
6	एस.आर.चौधरी	------- वही -------	8/1991 से 6/1997	9801.00
7	मुंशी लाल शर्मा, क.अभि.	भा.सं.नि.लि.	9/2002 से 2/2006	16620.00
8	राम शाकल, मजदूर	------- वही -------	10/1995 से 3/2005	10146.00
9	भँवर सिंह, मजदूर	------- वही -------	1/1990 से 3/2005	16020.00
10	रिषि कुमार, मजदूर	------- वही -------	1/1994 से 7/1999	8194.00
11	तुलसीराम, मजदूर	------- वही -------	8/1990 से 6/1998	11590.00
12	रामधन मौर्य, मजदूर	------- वही -------	2/1995 से 6/1997	8023.00
13	दौलत सिंह, बेलदार	उपखण्ड सूरतगड	9/2002 से 3/2003	45225.00
14	साहबराम, बेलदार	------- वही -------	12/2009 से 2/2012	26325.00
15	गंगाराम, पटवारी	उपखण्ड पीलीबंगा	4/2003 से 3/2008	77760.00
16	टिकूराम, च.श्रे.क.	जी. एफ. सी. खण्ड	8/2004 से 2/2012	63450.00
17	बलवीर सिंह, च.श्रे.क.	सी.ए.डी.	4/2008 से 2/2012	10387.00
18	बनवारी लाल, का.सा.	डब्ल्यू.आर.खण्ड रावतसर	4/2009 से 2/2012	45360.00
19	श्रीमती मरियम्मा, ए.एन.एम.	राज. चिकित्सालय, सूरतगड	8/2003 से 3/2007	57024.00
20	नसीब चंद, एम.पी.डब्ल्यू	------- वही -------	11/2002 से 3/2008	43875.00
21	गोपीचंद, चौकीदार	सी.ए.डी.	4/2009 से 2/2012	23625.00
22	रामजीलाल, च.श्रे.क.	राज. चिकित्सालय, सूरतगड	3/2003 से 3/2008	41175.00
23	विक्रम सिंह, क.लि.	शिक्षा विभाग	4/2009 से 3/2011	6840.00
		योग		571369.00 अर्थात् 5.71 लाख

स्त्रोत : विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

परिशिष्ट 2.10

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.10.10 ; पृष्ठ 37)

ज.स्वा.अ.वि. से वसूल नहीं किये गये जल प्रभारों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	खण्ड का नाम	ज.स्वा.अ.वि. से बकाया			
		31/3/2009	31/3/2010	31/3/2011	31/3/2012
1.	अ.अ.,ज.स. खण्ड-।।, हनुमानगढ़	-	-	-	12.87
2.	अ.अ.,ज.स. खण्ड सूरतगढ़	4.07	7.86	6.38	4.72
3.	अ.अ.,ज.स. खण्ड रावतसर	-	-	-	11.21
4.	अ.अ.,ज.स. खण्ड उदयपुर	-	-	-	25.15
5.	अ.अ.,ज.स. खण्ड मेड़तासिटी	-	-	-	0.10
6.	अ.अ.,ज.स. खण्ड डूंगरपुर	-	-	-	2.06
7.	अ.अ.,ज.स. खण्ड करौली	0.36	0.18	0.39	0.17
8.	अ.अ.,ज.स. खण्ड चित्तौड़गढ़				21.38
	योग				77.66

स्त्रोत : विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ अनुच्छेद 3.2.1 पृष्ठ 42)

निजी/वन भूमि में से सड़क संरेखण प्रस्तावित करने के कारण अपूर्ण रही सड़कों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र.सं.	वृत/कार्यालय का नाम	संपर्क सड़क का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति			कार्यादेश का माह व वर्ष / कार्य पूर्ण होने की अनुमानित तिथि	विवादित सड़क की लंबाई	निहित व्यय (₹ लाख में)	विवाद के कारण	कार्य रोका	तकनीकी अनुमान (₹ लाख में)
			माह व वर्ष	राशि (₹ लाखों में)	लंबाई (कि.मी.)						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	अ.मु.अ.सा.नि.वि., जोधुपर (ग्रा.आ.वि.को-15)	बावड़ी से केलावा का उन्नयन	मई, 2009	81.12	8.00	जुलाई, 2009 / 7.12.2009	880 मी. (2/345 से 3/225)	III रा.व अंतिम ₹ 48.18 21.05.2010 (7.1.2010)	निजी भूमि से संरेखण गुजरना	3.9.2009	अ.अ,सा.नि.वि.,त.अ./अधी.अ./जोधपुर 261/18.6.09 ₹ 80.87
2.	अधी.अ. सा.नि.वि., पाली 4/10से3/11 (प्र.म.ग्रा.स.यो) उन्नयन	बीजापुर से कोरवा फांटा सड़क उन्नयन	फरवरी, 2009	422.97	15.00	मई, 2009 / 24.3.2010	4700 मी. (8/300 से 11/200 एवं 15/800 से 17/600)	V वा.व अंतिम ₹ 148.75 (24.3.2010)	वन भूमि से संरेखण गुजरना	25.6.2009	अ.अ,सा.नि.वि.,त.अ./अ.मु.अ. सा.नि.वि./जोधपु 144/7.2.09
3.	अधी.अ. सा.नि.वि., वृत जालौर 4/05 से 3/11 (प्र.म.ग्रा.स.यो.) नई सड़क	सं.स. भदवाल से कैलाश नगर	जुलाई 2007	63.17	4.03	अक्टुबर 2007 / 27.5.2008	300 मी. (3/400 से 3/700)	VII अंतिम ₹ 51.26 (27.5.2008)	निजी क्षेत्र से संरेखण गुजरना	28.4.08 राजस्व रास्ता	अ.अ,सा.नि.वि.,त.अ./अधीअ./सा.नि.वि./जालौर 53/24.7.07 ₹ 63.17

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
4.	अधी.अ. सा.नि.वि., वृत जालौर 4/05 से 3/11 (प्र.म.ग्रा.स.यो.) नई सड़क	संपर्क सड़क सांचौर भरवासर सड़क किमी 20 से गोवारी की ढ़ाणी	फरवरी 2008	125.36	7.90	जून 2008 24.1.2009	1400 मी. (6/500 से 7/900)	IXवा.सतत बिल कार्य प्रगति पर ₹ 95.32	निजी भूमि से संरेखण गुजरना	25.7.2008 राजस्व रास्ता	अ.अ., सा. नि.वि, सांचौर तक अनु. अधी.अ. सा. नि.वि. जालौर द्वारा 73/16. 2.2008, ₹ 102.02
योग				**692.62 अर्थात् ₹ 6.93 करोड़**	**34.93**		**7280 मीटर**	**₹ 343.51 अर्थात ₹ 3.44 करोड़**			